राजस्थान विधान सभा

६८वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक ७ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-०५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १७१५

डाकुओं द्वारा व्यक्तियों का अपहरण

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पिछले ३ सालों में किस किस साल में कितने कितने व्यक्तियों का डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया ?

(ख) उक्त व्यक्तियों में से किस किस साल में कितने कितने व्यक्ति पुलिस द्वारा डाकुओं के पंजे से छुड़ाये गये ?

(ग) कितने व्यक्ति डाकुओं द्वारा मार दिये गये ?

(घ) कितने व्यक्ति अभी तक लापता हैं ?

(ङ) कितने व्यक्ति रुपये देकर डाकुओं से छूट कर आये हैं ?

(च) मनुष्यों का अपहरण करने वाले कितने डाकू गतवर्ष पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) सन् १९५१ से १९५३ तक कुल ८६ व्यक्तियों का अपहरण डाकुओं द्वारा हुआ।

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

१६५१	में	१०
१६५२	में	३६
१६५३	में	३७

(ख) केवल २१ व्यक्ति पुलिस द्वारा छुडाये गये ।

सन्	१६५१	में	४
,,	१६५२	में	१०
,,	१६५३	में	७

(ग) केवल २ व्यक्ति डाकुओं द्वारा सन् १६५३ में मार डाले गये ।

(घ) ७ व्यक्तियों का अभी तक कोई पता नहीं लगा ।

सन्	१६५१	में	२
,,	५२	में	४
,,	५३	में	२

(ङ) डाकुओं द्वारा अपहरण किये गये व्यक्तियों में से ५७ मनुष्य या तो रुपया देकर या अपने प्रयासों से बच कर आयें ।

१६५१	में	५
१६५२	में	२५
१६५३	में	२७

(च) इन अपराधों में कुल २०६ डाकू शामिल थे । पुलिस द्वारा ३२ अपराधियों को मार दिया गया, ६५ को गिरफ्तार किया गया और १०६ बाकी हैं जिनको पकड़ने के पूरे प्रयत्न किये जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—जो ७ व्यक्ति लापता हैं उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—अलग प्रश्न किया गया होता तो उत्तर दिया जाता ।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि डाकू भंवरसिंह पाकिस्तान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसको इस बात पर रिहा किया गया है कि वह हिन्दुस्तान का माल लूट-लूट कर पाकिस्तान ले जाय ?

श्री **जयनारायण व्यास**—यह बात सही है कि भंवरसिंह डाकू पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और ३५ हजार की जमानत पर छोड़ दिया गया। जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का संम्बन्ध है वह शायद पाकिस्तान की असेंबली में रखा जाय तो उत्तर ठीक मिल सकता है।

श्री **खेतसिंह**—जब सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान की पुलिस ने भंवरसिंह को गिरफ्तार कर लिया था तो राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं उसे यहां मंगवाने की कोशिश की?

श्री **जयनारायण व्यास**—हर कोशिश कामयाब नहीं होती और खास कर पाकिस्तान पुलिस के साथ की गई कोशिश।

श्री **खेतसिंह**—आया कोई कोशिश की भी गई?

श्री **जयनारायण व्यास**—जरूर।

प्रश्न संख्या १७१६

स्वायत्त शासन संस्थाओं के आय-व्यय का ऑडिट किया जाना

श्री **चांदमल मेहता**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) स्वायत शासन संस्थाओं के आमद व खर्च के हिसाबों की ऑडिट के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है?

(ख) आमद व खर्च के हिसाब किन किन संस्थाओं के पिछले २ साल से ऑडिट नहीं हुए हैं?

श्री **रामकरण जोशी** (स्वायत शासन मंत्री)—(क) दिनांक १५-११-५३ तक नगरपालिकाओं के आय-व्यय का ऑडिट एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा कराया गया और १६-११-५३ से लोकल फंड ऑडिट विभाग द्वारा होता है।

(ख) सिर्फ २३। इसकी सूची टेबल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री **चांदमल मेहता**—अध्यक्ष महोदय, आपके अनेकों बार आदेश हो चुके हैं कि इस सदन की मेजपर जो सूची रखी जाय उसकी प्रतिलिपियां नोटिस ऑफिस में दे दी जानी चाहिये, ताकि वहां से हम लोग ले लें।

Page No.4

श्री रामकरण जोशी—मैं नाम पढ़े देता हूं : लालसोट

श्री चांदमल मेहता—इनके ऑडिट नहीं होने का क्या कारण है ?

रामकरण जोशी—अकाउन्टेन्ट जनरल के जिम्मे यह काम था वह कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने सिर्फ ३६ म्युनिसिपेलिटियों का ही ऑडिट किया। जब लोकल फंड ओडिट विभाग कायम हुआ तो ६३ का ऑडिट हो गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों का ऑडिट नहीं होता है ?

श्री रामकरण जोशी—इन्सपेक्टर्स ग्राम पंचायतों के हिसाब को देखा करते हैं और अपनी रिपोर्ट भी पेश किया करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या ग्राम पंचायतों के इन्सपेक्टर्स अकाउन्ट्स की ट्रेनिंग पाये हुए व्यक्ति हैं, जो वे ग्राम पंचायतों के हिसाब की जांच कर सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इन्सपेक्टर्स को इस हिसाब देखने की ट्रेनिंग पहले दी जाती है, फिर वे इस काम को देखते रहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—कितने ऐसे इन्सपेक्टर्स हैं जिनको कि एकाउन्ट्स की ट्रेनिंग दी हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—ग्राम पंचायतों के हिसाब जांचने की रीति नहीं जानता हो ऐसा एक भी इन्सपेक्टर नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनका पिछले साल में हिसाब का इन्सपेक्शन नहीं हुआ हो ?

श्री रामकरण जोशी—इसके लिये अलग प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न (ख) में इसका समावेश है।

श्री रामकरण जोशी—ग्राम पंचायतें स्वायत्त शासन में नहीं आती लोकल बोडीज़ में आती हैं।

प्रश्न संख्या १७१७

राजस्थान से भिक्षा वृत्ति हटाने के लिए शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चान्दमल मेहता]

(क) राजस्थान में भिक्षुओं की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या सरकार भिक्षावृत्ति को दूर करने के लिये कोई योजना बना रही है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू होने की संभावना है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान में भिक्षुओं की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार भिक्षुओं की गणना कराने के बारे में कोई विचार रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास—जनगणना के साथ साथ उनकी भी गणना होती है।

श्री चांदमल मेहता—पिछली मरतबा जब जन गणना हुई थी, उस समय कितनी संख्या थी ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है। अलग से पूछा जावे तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि कई अच्छे और हृष्टपुष्ट लोगों ने भी यह पेशा अख्तयार कर लिया है ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा मालूम होता है।

श्री मोतीराम चौधरी—क्या सरकार ने अपंगों के लिये कोई आश्रम खोलने का इरादा किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—जिनके कोई वारिस नहीं है, फिर वे अपना गुजर किस तरह से करते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जिस तरह से वे अपना गुजर अभी तक करते आये हैं उसी तरह से करते हैं ।

श्री मोतीराम चौधरी—क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है कि इसका प्रबन्ध करे ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार के फर्ज बहुत से हैं मगर सारे फर्ज पूरे करने से सरकार मजबूर है ।

एक माननीय सदस्य—जो फर्ज विधान में पूरे करने के लिये हैं...

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार इसका इन्तजाम करेगी कि आयन्दा के लिये ये भिक्षुक बढ़ें नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—इस सम्बन्ध में एसेम्बली में बिल लाया जा सकता है । मैं अपनी जानकारी से आपको यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान बनने से पहले जयपुर में एक बिल जैन भिक्षुओं में बाल-दीक्षा बन्द करने के लिये लाया गया था और उस समय उसका कड़ा विरोध किया गया था ।

श्री जवानसिंह—जैन भिक्षुक कहलाते हैं या साधु कहलाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—वे भी भिक्षा वृत्ति ही करते हैं ।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि ये लोग ४२० का धन्धा भी करने लग गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७९८

किशनगढ़ सब डिविजन के अध्यापकों को इस वर्ष ट्रेनिंग में भेजने पर उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब-डिविजन के कितने अध्यापक इस वर्ष ट्रेनिंग के लिये भेजे गये ?

(ख) ऐसी कितनी स्कूलें हैं जहां उक्त अध्यापकों के स्थान पर अभी तक दूसरे अध्यापक नहीं भेजे गये हैं ?

(ग) ऐसी कितनी स्कूलें हैं जहां अध्यापक नहीं भेजने की वजह से स्कूलें बन्द हो गई हैं ?

(घ) उन स्कूलों के नाम क्या क्या हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) किशनगढ़ सब-डिविजन से इस वर्ष ११ मास्टर ट्रेनिंग पर भेजे गये।

(ख) ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जहां पर उक्त अध्यापकों के स्थान पर अध्यापक नहीं भेजे गये हों।

(ग) ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जो अध्यापक न भेजने के कारण बन्द हुई हो।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए भेजने के कई महिने बाद दूसरे अध्यापकों की नियुक्ति की गई ?

श्री भोलानाथ—कई महीने तो नहीं कह सकते। ट्रेनिंग स्कूल १५ जुलाई को खुलते हैं, उसके बाद बाकायदा मास्टरों की नियुक्ति की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को मालूम है कि सिरोंज में अध्यापकों को ट्रेनिंग में भेजने के कारण स्कूल बन्द हो गया ?

श्री भोलानाथ—आपने तो किशनगढ़ का प्रश्न पूछा है और मैंने उसका उत्तर दे दिया।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि सिरोंज़ किशनगढ़ तहसील में है।

श्री भोलानाथ—आप पर्टीकुलर जगह बतावें तो जानकारी हासिल करके जवाब दिया जा सके।

श्री चांदमल मेहता—आपने बताया कि कोई स्कूल बन्द नहीं रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आया यह आपकी जानकारी में है कि सिरोंज़ का स्कूल बन्द इसी कारण से हो गया था कि वहां पर अध्यापक नहीं थे।

श्री भोलानाथ—आपने सिरोंज़ तहसील अराई के बारे में बताया है, इसके लिये जांच करेंगे कि वह बंद है क्या ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १७१९

वर्तमान वर्ष में नगरपालिकाओं के बजट की सरकार द्वारा स्वीकृति

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चालू वर्ष के किस किस नगरपालिका के बजट वास्ते स्वीकृति सरकार के पास प्रेषित नहीं किये गये हैं ?

(ख) चालू वर्ष के किस किस म्युनिसिपेलिटी के बजट सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं ?

(ग) उक्त बजट सरकार के पास किन किन तारीखों में भेजे गये ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—इस प्रश्न के भाग (क) (ख) एवं (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में तालिकाएं अ और ब सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—इन नगरपालिकाओं के बजट निश्चित नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—इनके बारे में पूछा गया है। नगरपालिकाओं के अध्यक्षों ने बजट बना कर नहीं भेजा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वगैर बजट भेजे ही वे लोग अपनी स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी—कायदे के माफिक तो नहीं कर सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार यह जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी कि जिनके बजट नहीं आये हैं उनके कौन कौन से खर्च चल रहे हैं और कौन कौन से खर्च बन्द हैं ?

श्री रामकरण जोशी—उनके बारे में कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—जो बजट सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिये गये हैं उनको इतनी देर तक रोके जाने का क्या कारण है ?

Page No.9

श्री रामकरण जोशी—डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के दफ्तर में आने के बाद उन बजटों की स्क्रूटीनी होती है, और एक महीने से ज्यादा कोई बजट नहीं रोका जाता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वर्ष के खत्म होने तक बजट नहीं जाते?

श्री रामकरण जोशी—ऐसे तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर पर्टीकुलर जगह की बात कहें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई निश्चित अवधि मुकर्रर है कि इतने दिन बाद बजट भेज दिया जावे?

श्री रामकरण जोशी—बजट आने के बाद तुरन्त उसको देख भाल करके भेज दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—कितने दिन तक रोका रह सकता है?

श्री रामकरण जोशी—यह तो बजट के पेश करने के तरीकों पर निर्भर है। अगर गलत बजट पेश कर दिया है तो उसको ठीक करने के लिए वापिस लौटा दिया जाता है। इस तरह से समय लग सकता है।

श्री तनसिंह—जिन म्युनिसिपेलिटियों ने अपने बजट पेश नहीं किये और उनके खर्च चल रहे हैं, आप उनके बारे में बतावें कि क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामकरण जोशी—डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज की तरफ से उनको लिख दिया जावेगा और जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७२०

ग्राम धीमरी (त० बाड़ी) के हरिजनों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार तथा उस पर पंचायत निर्णय

श्री हंसराज जटिया—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम धीमरी, तहसील बाड़ी, धौलपुर सब-डिवीजन, के हरिजनों पर वहां के सवर्ण लोगों ने अत्याचार किया और उन्हें बलपूर्वक गांव से निकाल दिया?

Page No.10

[श्री हंसराज जटिया]

(ख) क्या उनके तार देने पर स्थानीय तहसीलदार व पुलिस ऑफिसर गांव में पहुंचे और तहकीकात की ?

(ग) क्या तहसीलदार बाड़ी व पुलिस ने इस मामले को बाड़ी में पंचायत द्वारा तय कराया ? यदि हां, तो क्या फैसला हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) जी नहीं। किसी झगड़े की वजह से वे खुद थोड़े दिनों के लिए वहां से चले गये थे।

(ख) इस विषय की सूचना मिलते ही तहसीलदार बाड़ी तथा बाड़ी पी. एस. का एक हैड कान्सटेबल ग्राम धीमरी पहुँचे, किन्तु उन्हें वहां केवल एक हरिजन मिला जो कि और हरिजनों के मकान की देखभाल करता था। उसने भी और हरिजनों के विषय में जान-बूझ कर नहीं बताया। उन लोगों की अनुपस्थिति में कोई जांच न हो सकी। फलतः गांव वालों को पुलिस स्टेशन बाड़ी में पूछताछ के लिए लाया गया।

(ग) जी हां, सवर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों में यह तय हुआ कि कोर्ट में चल रहे मुकद्दमे कानूनन तय हो।

श्री हंसराज जटिया—ऐसा झगड़ा क्यों हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—शुरू शुरू में जब धौलपुर में डकैतियां ज्यादा होती थी उन दिनों में कुछ गूजर मुमकिन है जो डाकुओं से सांठ-गांठ रखते थे और हरिजन भी जो डाकुओं से मुलाकात रखते थे कुछ रूपया पैसा लेते थे उसका झगड़ा था और एक जो जमीन का झगड़ा था उस पर यह झगड़े का रूप धारण किया और बाद में वह बढ़ता गया।

श्री हंसराज जटिया—इसमें क्या तहकीकात हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—पुलिस से जानकारी हासिल करने की कोशिश की और जो सम्बन्धित व्यक्ति वहां थे उनसे जानकारी हासिल की गई उसके बाद में श्री हंसराज जी स्वयं भी वहां मौजूद थे और वे भी बीच में पड़े। अब मामला अदालत में चला गया है। इसलिये इसको बताना ठीक नहीं होगा।

श्री हंसराज जटिया—वह मामला तो पहले से चल रहा है।

श्री जयनारायण व्यास—वह और यह सभी मामले मिल गये हैं।

श्री हंसराज जटिया—क्या तय कराया गया ?

Page No.11

श्री जयनारायण व्यास—जो मामला चल रहा है उसका फैसला अदालत में हो जावेगा।

श्री हंसराज जटिया—अभी क्या तय पाया गया पंचायत द्वारा?

श्री जयनारायण व्यास—जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उनका फैसला अदालत में हो जाय यह तय पाया है।

श्री हंसराज जटिया—कोई मुआवजा दिलाने का तय किया गया या नहीं?

श्री जयनारायण व्यास—सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—कोई मुआवजा दिलाने का तय किया गया था या नहीं?

श्री जयनारायण व्यास—यह अदालत के फैसले पर मुनस्सर होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १७२१

कस्बा बाड़ी की हाई स्कूल तथा अपर प्राइमरी स्कूल के बीच की दूरी

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कस्बा बाड़ी धौलपुर यूनिट में हाई स्कूल और कक्षा ३,४,५ की स्कूल, जो कि गुमट में है, का फासला १ मील का है।

(ख) क्या यह सत्य है कि गुमट के स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे विद्यार्थियों को रेल्वे लाइन व बाजार पार करना पड़ता है, जिससे कि बालकों के साथ दुर्घटना होने का अन्देशा सदैव बना रहता है?

(ग) क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार किला कस्बा बाड़ी के स्कूल जिसमें कि कक्षा १ व २ की ही पढ़ाई होती है कक्षा ३,४,५ की पढ़ाई का भी प्रबन्ध करेगी और गुमट में १ व २ की शिक्षा का भी प्रबन्ध करेगी?

(घ) क्या सरकार इस प्रकार दोनों स्थानों (गुमट व किला बाड़ी) पर अपर प्राइमरी स्कूल बनाने की कृपा करेगी?

Page No.12

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) हां।

(ख) गुमट में पढ़ने जाने वाले बालकों को रेल्वे लाइन व बाज़ार पार करना पड़ता है। परन्तु बाड़ी में रेलों व मोटरों का आवागमन इतना भारी नहीं है कि जिससे दुर्घटनाओं का कोई बहुत बड़ा अन्देशा रहता हो।

(ग) किले में प्राइमरी स्कूल के लिए इमारत बनने के मामले में कार्यवाही हो रही है। गांव वालों ने अपने खर्च से कुछ कमरे बनवाने का वचन दिया है और सरकार ने भी कुछ सहायता देना स्वीकार किया है। यह इमारत बन जाने पर किला व गुमट दोनों स्थानों पर पाठशाला रखने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावेगा।

(घ) 'ग' के उत्तर में इसका भी उत्तर आ जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री मुक्तिलाल मोदी।

प्रश्न संख्या १७२२

ग्राम पंचायत कायम करने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) कितनी जन संख्या पर १ ग्राम पंचायत कायम की गई है ?

(ख) १ पंच कितनी जन-संख्या पर कायम किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) राजस्थान की जन-संख्या के अनुपात के विभिन्न होने की वजह से सब पंचायतों की आबादी और जन-संख्या एकसी नहीं रह सकी है।

(ख) साधारणतया १ हजार की जन-संख्या के हिसाब से तीन पंच देना तय किया है। यह अनुपात भी क्षेत्र और जन-संख्या के अनुसार बदलते रहते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कितने मील का एरिया देकर एक ग्राम पंचायत बनाई जायगी और उसकी कितनी जन-संख्या मानी जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—मील का भी कोई सवाल नहीं है। जैसलमेर में कई मीलों तक आबादी नहीं है और जब कि एक मील में भी काफी जन-संख्या रह सकती है। इसलिए जन-संख्या और क्षेत्र दोनों को देखकर ही किया जाता है।

Page No.13

श्री मुक्तिलाल मोदी—जयपुर में तो जन-संख्या काफी है फिर यहां पर दूर दूर तक बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं बनना चाहिए। पंचायतों की देख, रेख रह सके उस हिसाब से बनना चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो क्या पंचायतें बनाते वक्त तहसीलदार और एस. डी. ओज को पूछा गया था ?

श्री रामकरण जोशी—रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सलाह ली गई थी और उनकी सलाह से ही बनाई हैं। रेवेन्यू के मामलें में उनके अधिकारियों से पूछा गया था।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तहसीलदार और एस. डी. ओज से नहीं पूछा गया, क्या आप जांच करावेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ली गई थी। पटवारियों से भी पूछा ही होगा।

श्री भैरोसिंह (वि सं० १६)—जिस क्षेत्र में पटवारियों और रेवेन्यू ऑफिसर्स से नहीं पूछा गया है तो क्या उन क्षेत्रों के लिए आप दुबारा विचार करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई अटपटी बातें पंचायत क्षेत्र में रह गई हैं तो उसकी जानकारी सरकार के पास आने पर उनका सर्कल बदला जा सकता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आस-पास के गांव काफी आबाद होते हैं औरपंचायतों की जन-संख्या ८-६ हजार होती है तो क्या उनको अलग अगल करने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—जनरल सवाल का मैं क्या जवाब दूं ? कोई खास बात हो तो बतायी जाय।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—ग्राम पंचायतें बनाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कुछ तो तय किया होगा ?

श्री रामकरण जोशी—ग्राम पंचायत एक्ट के पास होने के समय इस पर काफी बहस के बाद यह क्लॉज़ रखी गई थी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १७२३

धौलपुर तेल मिल को पुनः चलाने की योजना

श्री हंसराज जटिया—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि धौलपुर तेल मिल बन्द है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सच है कि उसमें राजस्थान सरकार का भी कुछ रुपया लगा हुआ है ? यदि हां, तो फिर सरकार उस मिल को चलाने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(ग) क्या सरकार किसी प्रकार से इस मिल को चलाने का विचार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) यह सच है कि धौलपुर तेल मिल कुछ सालों से बन्द पड़ी है। इसका कारण मिल की अव्यवस्था है।

(ख) हां, सरकार ने बन्द कारखानों को पुनः चलाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की है जो जांच करने के पश्चात् कारखानों को पुनः चालू करने पर विचार करेगी।

(ग) सरकार इस मिल को फिर से चलाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेगी।

श्री चांदमल मेहता—इस मिल में सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास—एक लाख तीस हजार रुपया।

श्री चांदमल मेहता—यह कमेटी जांच करने के लिए कब नियुक्त हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—कई बार उत्तर दिया जा चुका है। तारीख तो मुझे याद नहीं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या सारे उद्योग के लिए जो कमेटी नियुक्त की है उसके लिए आप फरमाते हैं ? वह किस तरीके से जांच करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—सब उद्योग हैं जिसमें यह मिल भी शामिल हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो तेल मिल धौलपुर में है उसकी कुल लागत कितनी है ?

Page No.15

श्री जयनारायण व्यास—२५ लाख की ऑथोराइज्ड़ केपिटल थी। अब उसके २५ लाख वसूल होते हैं ऐसा लगता नहीं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मशीनरी आदि पर मिल की कितनी केपिटल बनती है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न है ?

श्री तनसिंह—इस मिल को बन्द हुए कितना अर्सा हो गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ऐसा ख्याल है कि वह थोड़े ही दिन काम कर पाया। इसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की भी छूट थी और सन् ४५ में इस मिल की मंजूरी हुई। सन् ४७ में यह मिल रजिस्टर्ड कराई गई और कुछ दिनों चली और उसके बाद बन्द हो गई।

श्री तनसिंह—इतने दिनों में रजिस्टर्ड हुआ और उसके इतने दिनों बाद में कमेटी बनाई गई तो क्या यह माना जाय कि सरकार को यह ज्ञान ही नहीं था कि वह मिल बन्द होगई है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार को बहुत सारे कारखाने हैं जिनके घाटे में चलने का ज्ञान है। इस सरकार से जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने उन कारखानों में सरकारी पूंजी भी दे रखी थी जो अब तक घाटे में चले आते रहे हैं। यह ज्ञान होते हुए भी सरकार अपने आपको असहाय पाती है, ऐसे कारखानों के सम्बन्ध में जिनमें कि सरकार का पैसा लगा हुआ है और जो घाटे में हैं और जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह कारखाना जब घाटे में जा रहा है तो सरकार ने उसके लिए क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—आपने सुना नहीं। अभी बताया गया था। इसका उत्तर आ चुका है।

श्री तनसिंह—सरकार की ओर से जो धन लगाया है वह इस मिल के चालू होने के समय या बाद में लगाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—पहले दे दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १२७२

धौलपुर युनिट की मचकुन्दजी की संस्कृत पाठशाला को और आर्थिक सहायता

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.16

[श्री हंसराज जटिया]

(क) क्या यह सच है कि धौलपुर युनिट में श्री मचकुन्दजी की संस्कृत पाठशाला को जो सरकारी सहायता दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पाठशाला को सुचारुरूप से चलाने पर ध्यान देगी ?

(ख) क्या उपरोक्त पाठशाला (मचकुन्दजी) के छात्रों को चिरकाल से छात्रवृत्ति मिलती थी, वह जारी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री) (क) इस पाठशाला को इसके पूरे व्यय के बराबर सरकारी सहायता दी जाती है। इस पाठशाला को सरकारी प्रबन्ध में लेने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस पाठशाला में मिलने वाली छात्रवृत्तियां बन्द हो गई हैं, क्योंकि ये छात्रवृत्तियां राजस्थान सरकार द्वारा बनाये हुए छात्रवृत्ति के नये नियमों के अनुकूल नहीं थी। ये छात्रवृत्तियां धर्मार्थ विभाग की ओर से दी जाती थीं।

श्री चांदमल मेहता—यह विचार कब से शुरू हुआ और कब तक समाप्त हो जायगा सरकारी नियंत्रण में लेने का ?

श्री भोलानाथ—यह विचार तो अभी शुरू किया गया है और इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि वास्तव में हम ले सकते हैं या नहीं ? यह धर्मार्थ विभाग द्वारा संचालित किया जाता था।

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)— क्या ऐसे नियम बना लिये हैं कि संस्कृत पढ़ने वालों को छात्रवृत्ति न दी जाय ?

श्री भोलानाथ—छात्रवृत्ति के नियम आप पढ़ लीजिये कि उसमें ऐसा नियम है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि ऐसे नियम हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नियमावली पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह—जिनके नियम पढ़े हुए हैं वे ही बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री संतोषसिंह कछवाहा।

प्रश्न संख्या १७२५

शहर के बाहर व भीतर तालाबों की कुछ दूरी से मकान इत्यादि बनाने की नगरपालिकाओं की आज्ञा

श्री संतोषसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

शहर के अन्दर व बाहर पीने के पानी के तालाबों से कम से कम कितने फुट व गज की दूरी के फासले पर मकान, चबूतरी, टट्टी व इमारत बनाने की इजाजत नियमानुसार नगरपालिका देती है ? अथवा कितने फुट व गज के भीतर किसी तरह की भी इमारत बनाने की सरकारी मनाही है ?

श्री **रामकरण** जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—भिन्न २ नगरपालिकाओं में अलग अलग नियम होते हैं। स्वीकृति सरकार से पहले ले ली जाती है और तदनुसार आज्ञायें दी जाती हैं।

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—पीने के पानी के तालाबों के पास टट्टियां वगैरा बना ली जाती हैं तो क्या उनकी मुमानियत नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा नहीं हो सकता है। विशेष जगह के लिए आप बात कहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जोधपुर में गुलाब सागर के किनारे पर टट्टियां बना ली गई हैं।

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न अलग से पूछा जाना चाहिए।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या आप व्यवस्था करेंगे कि आयन्दा पीने के पानी के तालाबों आदि के पास इस प्रकार टट्टियां न बनाई जाय ?

श्री रामकरण जोशी—सवाल आपने पूछा ही नहीं और सरकार को जानकारी नहीं उससे पहले ही आपको आश्वासन कैसे दे दिया जाय। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जाती हैं जिससे कि अनसिनेटरी कन्डीशन्स पैदा हो।

श्री संतोष सिंह कछवाहा—कम से कम नियम बनायें तो ऐसा तो उनमें होना चाहिए कि इतनी दूर पर टट्टियां बनाई जा सकती हैं।

श्री रामकरण जोशी—म्युनिसिपैलिटियों के अलग अलग कानून होते हैं और वे सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं। उनके अलावा मकान बनाने आदि की इजाजत दी ज़ाती है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा —अगर उनका उल्लंघन करे तो सरकार क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष—ऐसे हाईपोथेटिकल प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जोधपुर में ऐसा हुआ है इसलिए....

श्री अध्यक्ष—जोधपुर के सम्बन्ध में आप अलग से सवाल पूछिये और उसका जवाब मांगिये।

श्री खेतसिंह-क्या नये म्युनिसिपल एक्ट में भी ऐसे नियम लावेंगे ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या १७२६

जोधपुर की नगरपालिका की अवधि की समाप्ति।

श्री संतोषसिंह कछवाहा-क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर की नगरपालिका के बोर्ड की अवधि किस तारीख को समाप्त होती है।

(ख) उसका अगला चुनाव सरकार किस तारीख करा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)-(क) १५-१०-५४।

(ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह-(वि० सं० १६) इसको विचाराधीन लेने के क्या कारण हैं जब कि अवधि समाप्त होते ही इलेक्शन की तारीख निकाल देनी चाहिए ?

श्री रामकरण जोशी-सरकार को ऐसे मामलों में स्वीकृति देने के लिए विचार करना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह-अवधि कानूनन समाप्त हो गई है तो फिर विचार करने के क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी–प्रोपोजल्स आते हैं, नई वोटर्स लिस्ट तैयार हुई या नहीं यह भी देखना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह—वोटर्स लिस्ट बनाने के लिए तो अवधि के पहले ही अधिकार दे दिये जाते हैं।

श्री रामकरण जोशी—फाइनल होने के लिए आती है।

श्री तनसिंह—छः महीने पहले वोटर्स लिस्ट बन कर तैयार हो जानी चाहिए ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी उम्मेद की जाती है।

श्री तनसिंह—तो क्या ऐसा माना जाय कि जोधपुर के लिए ऐसा नहीं किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसे स्टेन्डिंग कायदे हैं। कई म्युनिसिपैलिटीज़ पूरा कर लेती है और कई नहीं कर पातीं।

श्री तनसिंह—तो क्या यह माना जाय कि जोधपुर म्युनिसिपैलिटी ने इस प्रकार की कोई लिस्ट तैयार नहीं की ?

श्री रामकरण जोशी—यह सरकार के पास विचाराधीन है। आप चाहेंगे तो बता दी जावेगी।

श्री तनसिंह—सरकार के पास क्यों विचाराधीन है। क्यों नही इसका उत्तर दिया जाय कि ऐसी लिस्ट तैयार हुई या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग सवाल है कि लिस्ट तैयार हुई या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह-सरकार के पास यह मामला इसलिए विचाराधीन है कि लिस्ट तैयार नहीं हुई ?

श्री रामकरण जोशी—इससे और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। वार्ड्स का डिस्ट्रि-ब्यूशन हो, आबादी कुछ बढ़ गई हो, आदि बातों को देखते हुए कई बातें हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह-क्या ये अवधि पूर्ण होने से पहले नहीं की जा सकती थीं ?

श्री रामकरण जोशी-हो सकती हैं यदि म्युनिसिपैलिटी जागरूक होकर काम करे तो।

Page No.20

श्री संतोषसिंह कछवाहा—सरकार को टेक्स लगाने देने का वादा किया है इसलिए क्या एक्स्टेन्शन किया जा रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—टेक्स तो लगा भी दिये हैं। विकास कार्यों के लिए लगाये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जोधपुर की जनता ने ही इस प्रकार की उन्नति और विकास को पसन्द नहीं किया है ?

श्री रामकरण जोशी—हो सकता है कि कुछ लोग पसन्द नहीं करते हों और वहां भी कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया हो और कुछ ने किया हो।

श्री तनसिंह—अभी बताया गया कि इस प्रकार डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वार्ड्स नहीं हुआ है ? तो क्या सरकार को मालूम है कि वार्ड्स का डिस्ट्रिब्यूशन न होने से वार्ड्स के मुताबिक वोटर्स लिस्ट नहीं बनी है ?

श्री रामकरण जोशी—माननीय मित्र ने उत्तर नहीं सुना मालूम होता है। चुनने की स्वीकृति सरकार देती है उसके पहले कई बातों को विचार में लाने की आवश्यकता होती है। केवल वार्ड्स का डिस्ट्रिब्यूशन और वोटर्स लिस्ट का ही सवाल नहीं होता।

श्री तनसिंह—क्या वार्ड्स का डिस्ट्रिब्यूशन सरकार द्वारा तय कर दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल अलग से पूछने का है कि वहां पर वोटर्स लिस्ट बनी है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने पहले निश्चय कर लिया था कि जोधपुर म्युनिसिपेलिटी की अवधि बढ़ानी है इसलिए प्रोपोजल्स लेने हैं सो बाद में ले लें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १७२७

कस्बा बाड़ी (धौलपुर) की संस्कृत पाटशाला बन्द होना

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री हंसराज जटिया]

(क) क्या सरकार यह बतलायेगी कि कस्बा बाड़ी, धौलपुर यूनिट, में संस्कृत पाठशाला जिसमें कि मध्यमा तक अध्ययन कार्य होता था उसके बन्द होने का क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक है ?

(ग) यदि हां तो क्या, यह आशा की जावे कि सरकार उपरोक्त पाठशाला को सरकारी सहायता देकर पुनर्जीवन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोलानाथ** (शिक्षा मंत्री)— (क) जनता के सहयोग की कमी।

(ख) हां।

(ग) इस पाठशाला का सरकार के शिक्षा विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए इसका पुनर्जीवन बाड़ी की जनता के ही हाथ में है। हां, यदि पाठशाला जनता द्वारा फिर से चालू की गई और पाठशाला की ओर से सरकारी सहायता के लिए दरख्वास्त की गई तो नियमानुसार सहायता देने के प्रश्न पर अवश्य सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावेगा।

श्री **भैरोंसिंह** (वि० सं० १६)—जनता का यह सहयोग किस प्रकार से कम हुआ ?

श्री **भोलानाथ**—संस्कृत पाठशाला बाड़ी को भूतपूर्व धौलपुर सरकार की स्टेट बैंक धौलपुर से ३० रुपया माहवार सहायता के रूप में दिया जाता था और एक अध्यापक का वेतन व अन्य भार बाड़ी की जनता उठाती थी। जनता की देख रेख में ही यह पाठशाला चलती थी। इसका कोई सम्बन्ध धौलपुर शिक्षा विभाग से नहीं था। चूंकि ३० रुपया माहवार पर एक शास्त्री अध्यापकीय पद के लिए उपलब्ध नहीं हो सका और जनता का पूरा सहयोग न होने के कारण शाला को बन्द होना पड़ा।

श्री **भैरोंसिंह**—जनता का सहयोग नहीं था तो क्या सरकार ने भी आवश्यक नहीं समझा कि पाठशाला को चालू करने में मदद दी जाय ?

श्री **भोलानाथ**—एप्रोच नहीं किया गया होगा।

श्री **भैरोंसिंह**—यदि कोई संस्था के आदमी एप्रोच नहीं करते हैं तो क्या उन संस्थाओं के लिए सरकार कोई चीज निश्चित नहीं करती ?

श्री **भोलानाथ**—किसी संस्था पर सरकार जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकती।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह पब्लिक नहीं चाहती थी कि जबरदस्ती उस संस्था पर कब्जा करके उसको चालू रखा जाय ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री तनसिंह—जो छात्रवृत्ति धौलपुर सरकार द्वारा दी जाती थी, तो वह राजस्थान सरकार के जो नियम थे उनसे कन्फर्म करती थीं या नहीं ?

श्री भोलानाथ—इससे नियमों का सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह रूल्स लागू नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह—संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या ऐसी पाठशालाओं को आप चालू रखना आवश्यक मानते हैं या नहीं ?

श्री भोलानाथ—यह तो संचालक महोदय पर निर्भर रहता है कि वे आवश्यक समझते हैं या नहीं। बहुत सी पाठशालायें चलती हैं और सरकार द्वारा बहुत सी पाठशालाओं को सहायता भी मिलती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या अब सरकार जांच कराने के लिए तैयार है कि किस तरह से इसको चालू किया जाय। संचालक से बात की जा सकती है।

श्री भोलानाथ—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है नियमों के अन्तर्गत आवेंगी तो सहायता दी जायगी। हम जबरदस्ती उन पर थोपना नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार स्वयं आवश्यक नहीं समझती है कि उस संस्कृत पाठशाला को सरकार द्वारा चलाई जाय।

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सरकार की नीति के खिलाफ है कि संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया जाय ?

श्री भोलानाथ—संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए ही संस्कृत शिक्षा कक्षा ६ से ८ तक राजस्थान के समस्त स्कूलों में अनिवार्य कर दी गई है। हम पर्टीकुलर संस्था के लिए जोर नहीं देना चाहते कि वे सरकार के नियन्त्रण में रहें।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है कि संस्कृत को पाठशालाओं को बन्द कर दिया जाय।

(विराम)

Now the question hour is over.

[श्री अध्यक्ष]

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि श्री मोतीचन्द खजान्ची, वि० सं० १०५, ने ७ सितम्बर, १९५४ से पूर्ण सत्र तक के लिए विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान में अभाव स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—Next, Legislative Business.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो स्केअरसिटी के बारे में एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन मुझे मिला है। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएं तो अभी मुझे जिलों से मिली नहीं है पर जो कुछ सूचनाएं अब तक प्राप्त हुई हैं उन्हें सदन के सामने रख दूं।

श्री अध्यक्ष—शोर्ट नोटिस क्वेश्चन आज है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं। पर शार्ट नोटिस क्वेश्चन के सिलसिले में ही कुछ जनरल बातें मैं बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो शार्ट नोटिस क्वेश्चन के सिलसिले में या ज़नरली वैसे ही ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं जनरली ही कहे देता हूं, स्टेट ऑफ स्केअरसिटी के बारे में।

श्री अध्यक्ष—On scarcity Conditions ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी। माननीय अध्यक्षजी, पिछले कुछ समय से प्रान्तों में और अलग अलग तरह से राजस्थान में फैली स्केअर्सिटी की स्थिति के सम्बन्ध में कई लोगों द्वारा काफी पूछताछ की जा रही है, और इस पर चिन्ता भी प्रकट की जा रही है। हमने अलग अलग जगहों से जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में जहां तक बीकानेर डिवीजन का सवाल है, सिवाय नहरी इलाके के, आम तौर से तीन जिलों में स्केअरसिटी कन्डीशन्स हैं। वहां की स्थिति राजस्थान

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

में सबसे ज्यादा खराब है। वहां फोडर की भी कमी हैं और साथ-साथ बरसात नहीं होने से फसलों को भी काफी नुकसान वहां पर हुआ है।

इसके बाद जहां की कन्डीशन्स चिन्ताजनक है उनमें जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर और नागौर के जिले हैं जिनमें अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बरसात की कमी रही है। और आने वाले पांच सात रोज में अगर बरसात नहीं हुई तो वहां पर भी स्केअरसिटी कन्डीशन्स होने का पूरा अन्देशा है। पाली और सिरोही जिलों की कन्डीशन्स कुछ- ठीक है। इस सप्ताह के अन्दर पाली जिले में अलग अलग जगह कुछ बरसात हुई है।

जयपुर डिवीजन में अलवर, भरतपुर का बहुत सा हिस्सा, जयपुर डिस्टिक्ट में कोटपूतली सब-डिवीजन और किशनगढ़ सब डिवीजन के हिस्से स्केअरसिटी कन्डीशन्स में आ सकते हैं, अगर आने वाले पांच सात रोज में वहां वर्षा नहीं हुई तो सीकर और झुंझनूं के इलाकों की हालत अच्छी नहीं है।

एक माननीय सदस्य—आपने जालोर के सम्बन्ध में नहीं बताया?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं जालोर के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा कि वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है।

कोटा डिवीजन में इस सप्ताह के अन्दर ठीक वर्षा होने से स्थिति में परिवर्तन हुआ है पर वहां पर भी इटावा, पीपलदा और लाडपुरा की कन्डीशन चिन्ताजनक है।

उदयपुर डिवीजन में डूंगरपुर के कुछ हिस्से को छोड़कर और भीलवाडा जिले के बदनोर और आसीन्द के कुछ हिस्से को छोड़कर आमतौर से पिछले सप्ताह वारिश होने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस प्रकार अलग अलग हिस्सों के बारे में मैंने वारिश नहीं होने की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसकी जानकारी दी है। यह स्थिति स्पष्ट तौर से सारे राजस्थान की है।

फोडर की कमी सारे राजस्थान में हैं। चाहे कोटा डिवीजन हो और चाहे उदयपुर डिवीजन हो वहां पर भी फोडर की कमी है और इसके लिये हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि हमें फोडर कहां से मिल सकता है और साथ साथ हमारे यहां के मवेशी किन किन इलाकों में बाहर भेजे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सूचना मिलने पर मवेशियों के बाहर जाने के लिए आवश्यक साधन और रास्तों के बारे में सूचनाएं सरकार देगी और इसके लिए आवश्यक

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

प्रबन्ध भी करेगी कि किन किन रास्तों से होकर मवेशियों को बाहर के इलाकों में ले जाया जा सकता है। इस सम्बन्ध की जानकारी हमने सभी कलेक्टरों से भी मांगी है और १५ सितम्बर तक अलग अलग कलेक्टरों को ये सूचनाएं भेज देने की हमने हिदायतें दी है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम रुप से सब जगहों की क्या क्या स्थिति है इसकी जानकारी १५ सितम्बर तक करके में पूरी जानकारी सदन को और दे सकूंगा और साथ साथ जहां स्केअरसिटी कन्डीशन्स हैं वहां पर क्या रिलीफ वर्क्स जारी किये जाने चाहिये, इस बारे में भी १५ सितम्बर तक हमने जानकारी जिलों के कलेक्टरों से मांगी हैं। इसके बाद इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

पर इतना निश्चित है कि राजस्थान में पिछले वर्ष से ज्यादा स्केअरसिटी कन्डीशन्स रहने वाली हैं और अगर आने वाले पांच दस दिनों में वर्षा भी होगी तब भी कुछ इलाके तो ऐसे रहने वाले हैं कि जहां स्केअरसिटी कन्डीशन्स को हमें फेस करना होगा और आवश्यक कामकाज भी शुरू करने होंगे।

इस स्केअर्सिटी कन्डीशन के बढ़ने में लोकस्ट की वजह से भी कुछ अधिक चिन्ता पैदा हुई है। काफी बड़ी तादाद में इस प्रदेश में इनका इस साल आक्रमण हुआ है, और इसने भी एक तरह से इस सिचुएशन को बिगाड़ा है, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां, जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट, काफी नुकसान इनसे हुआ है, सिरोही जिले में भी टिड्डियों की वजह से काफी नुकसान हुआ है और आने वाले पांच सात रोज में वर्षा के साथ टिड्डियों के नये आक्रमण यदि हों तो उन्हें भी कन्ट्रोल कर लिया जावेगा। पर स्थिति इससे भी और ज्यादा वहां बिगड़ सकती है।

तो इन सारी कन्डीशन्स की विस्तृत सूचना १५ सितम्बर तक आ जावेगी और इसके बाद पूर्ण रूप से जानकारी सदन के सन्मुख और रख दी जावेगी। अब तक की स्थिति मैंने सदन के सामने रक्खी है।

श्री अध्यक्ष—Yes, next.

सदन के कार्यक्रम का निश्चयन

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इससे पहले कि आज की कार्यवाही शुरू की जावे मैं यह जानना चाहूंगा, सदन की जानकारी के लिए भी, कि हमारा प्रोग्राम इस टिनेन्सी बिल को खत्म करने का है या इस बीच में कोई एडजोर्नमेंट होने वाला है?

श्री जयनारायण व्यास—हम इस बिल को पूरा खतम करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक पास हो और यही पसन्द भी करेंगे। लेकिन अगर बीच में एक छुट्टी दूसरी तरफ आ गई और एक छुट्टी इस तरफ आ गई तो बीच की एक-दो दिन को छुट्टी और करके तीन या चार दिन की छुट्टी अगर मिल जाती है तो ऐसी हालत में हम एतराज नहीं करेंगे। ताकि इससे सदस्यों को भी अपने घर आने-जाने में सहूलियत मिल जावे। यह मैं कह देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात साफ है कि हम इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। यह सूचना में सदन को देना चाहता हूं।

श्री जवानसिंह—तो इसका यह अर्थ समझा जावे कि तारीख १० को छुट्टी रहेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जी, इसका अर्थ यही होता है। बशर्ते कि अध्यक्ष-महोदय इसकी इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—सदन की जैसी राय हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—हम इतनी सिफारिश जरूर करेंगे कि वह उस दिन की छुट्टी दे दें। जैसे ९ को छुट्टी है और ११ और १२ को भी है तो १० की छुट्टी और कर दें। यों ९ से १२ की छुट्टी हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष—I think this is the wish of the house.

श्री खेतसिंह—पर हिन्दुस्तान टाइम्स में तो ८ तारीख को सदन के एडजोर्न किये जाने की खबर है। क्या यह गलत है ?

श्री अध्यक्ष—We are not concerned with the newspapers. So, I take that this is the wish of the House. We have these holidays from 9th to 12th.

श्री भैरोंसिंह--(वि० सं० १६) मुझे भी थोड़ा सा निवेदन करना है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—On 13th, will we meet in the morning or in the evening ?

श्री अध्यक्ष—At 4. P. M. in the evening.

श्री भैरुसिंह—जिस तरह से राजस्थान में व्याप्त स्केअरसिटी कन्डीशन्स के लिए पूरी पूरी विस्तृत जानकारी जिला कलक्टरों से मांगी गई है और वे १५ सितम्बर तक इसे प्रस्तुत करेंगे तो इसी तरह से सदस्यों को भी इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको देने के लिए मौका होना चाहिये। इसलिए उन्हें भी मौका दिया जाय कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों मे जाकर वास्तविक स्थिति

[श्री भैरूसिंह]

का ज्ञान प्राप्त करके इसमें सरकार को सहयोग दें तो इस दृष्टि से यह बड़ा उपयुक्त होगा कि इस सदन को १५ तारीख तक या अगले सोमवार तक एडजोर्न कर दिया जावे ताकि सदस्यगण आसानी से इस सम्बन्धी जानकारी अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी तरह घूम फिर कर प्राप्त कर सकें और सरकारी अधिकारियों को भी इस बारे में सहयोग दे सकें।

श्री अध्यक्ष —You Can have world tourin four days.

श्री हिम्मतसिंह—तो इसके लिए हवाई जहाज मंगा दो जावे साहब।

विधायी कार्य।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति को)

श्री मोहनलालसुखाडिया (राजस्व मंत्री)— Sir, I beg to move that the Bill to consolidate and amend the law relating to land, the appointment, powers and duties of revenue Courts, revenue officers, village officers and village servants, the preparation and maintenance of maps and land records, the settlement of revenue and rent, the partition of estates, the collection of revenue and matters incidental thereto be referred to a Select Committee This committee will present its report during the first week of the next session.

श्री अध्यक्ष—Motion moved

श्री **चांदमल मेहता**—नाम नहीं लिए गए साहब।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नाम बाद में दे देगें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू बिल, १९५४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, जिसके नाम बाद में घोषित किए जावेंगे।

(स्वीकृति)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक १९५३

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—क्लाज ७२, इसका उत्तर राजस्व मंत्री देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री)-अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में कल काफी वाद विवाद हुआ था। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना था कि रेन्ट के डिटरमिन करने के लिए इसको हम एक तरफ से प्राइस इन्डेक्स के साथ लिन्क कर दें तो ज्यादा अच्छा हो, जब कि एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि बजाय केश रेन्ट्स के जो भी लटाई का तरीका हो, उस बेसिस पर इन काइन्ड रेन्ट फिक्स कर दिया जाय जिससे कि प्राइसेस का असर उस पर न हो, और काश्तकार के लिए भी हर समय के लिए उचित रहे।

जहां तक कि प्राइसेस के उतार चढाव के साथ रेन्ट्स के अन्दर रद्दोबदल करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि मामूली प्राइसेस के फर्क के साथ तो रेन्ट्स का रद्दोबदल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि जिसे हम इमरजेन्सी कहें, एक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकम्स्टान्सेज कहें, तो उसके लिए, अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने एक क्लाज ८९ रखी है कि जिसके अन्दर इस बात की गुन्जाइश है कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकम्स्टान्सेज में और इमरजेन्सी के मौके पर गवर्नमेंट चाहे तो कम या ज्यादा रेन्ट्स कर सकती है। उस क्लाज़ को रखने के पीछे उद्देश्य यह हो सकता है कि कभी प्राइसेज बहुत ज्यादा कम हो जायं और किसानों के लिए रेन्ट पे करना मुश्किल हो जाय तो हम उस पर विचार करेंगे कि क्या कमी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह पर्पज एक हद तक उससे पूरा हो जाता है। यह एक तरीका हो सकता है जो कि माननीय सदस्य ने बताया कि एक ऑटोमेटिकल इस तरह का अरेन्जमेंट रखें कि इतने इन्डेक्स फीगर्स कम होने पर रेन्ट इतना कम हो जायगा, इतने इन्डेक्स फीगर्स बढने पर रेन्ट बढ जायगा, जैसा कि लेबर के मामले में इन्डेक्स फीगर्स डियरनेस से लिन्क किया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि उतना फ्लक्चुएट इस चीज को बनाकर नहीं चल सकते हैं। इसके अन्दर हमें निश्चित तौर से यह रखना होगा कि फिक्स्ड रेन्ट्स में और ज्यादा उतार चढ़ाव की बात पैदा हो तो उस मुताबिक रद्दोबदल कर सकें तो उसके लिए गुन्जाइश इसमें है।

अब रहा सवाल यह कि रेन्ट को काइन्ड रेन्ट में टर्न कर दें जिससे कि प्राइसेस का असर किसान पर ज्यादा न पड़े, तो मैं उस राय से सहमत नहीं हूं। इसलिये सहमत नहीं हूं कि काइन्ड रेन्ट्स रखने का परिणाम कई तरह का होता है। सबसे पहला तो यह है कि काइन्ड रेन्ट्स को फिक्स करते हैं, केश रेन्ट फिक्स करते हैं, तो कई कन्सीडिरेशन्स को सामने रखते हैं जिसमें एक कन्सीडिरेशन यह भी सामने रखा जाता है कि उसका खुद का लेबर कितना होता है, और क्या क्या बातें उसके अन्दर, ऐवरेज, प्राइसेस, सॉइल की क्लासिफिकेशन्स वगैरह देखनी पड़ती हैं। तथा जो क्लाइमेटिक कन्डीशन्स के बारे में खास तौर से जोर दिया गया है कि काइन्ड रेन्ट रखने में क्लाइमेटिक कन्डीशन्स की पूर्ति हो जायगी। उसकी पूर्ति करने के लिए इसमें भी गुन्जायश है। और उन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए केश रेन्ट फिक्स किया जाता है। केश रेन्ट्स फिक्स करने के बाद सबसे बड़ी सुविधा गवर्नमेंट को यह रहती है कि कलेक्शन के अन्दर, बजट बनाने के अन्दर में नक्शा साफ तौर से सामने रहता है। अगर हम इन सारी चीजों के एवरेज तरीके को छोड़ देंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि हम कभी निश्चित....

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

आमदनी के बारे में ख्याल नहीं रख सकेंगे। वह ठीक स्थिति नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को रख कर चले आने का पुराना तरीका था, बारटर सिस्टम का था, जब कि नाज लिया जाता था, आज भी अनाज दिया जाता है बहुत से काम के लिए, लेकिन इस वक्त में ज्यादातर जब कि सारी व्यवस्था करेन्सी में है, और डेफिनिटली कितनी आमद हो और कितना खर्च हो, इस आधार पर चलती है, तो उस मौके पर इस प्रकार की व्यवस्था को रखना उचित नहीं होगा। पहले काइन्ड रेन्ट की व्यवस्था थी और इस व्यवस्था से हमने देखा कि काफी लोगों में असन्तोष हुआ। किसान आम तौर पर यह पसन्द करता है कि उसके बारे में यह निश्चित कर दिया जाय कि उसे कितना लगान देना होगा और वह निश्चित हो जाने के बाद हर साल उसे एक निश्चितता रहेगी कि उसे कितना देना पड़ेगा। काइन्ड रेन्ट की व्यवस्था में उसको औसत पता नहीं है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को पता नहीं है तो वह स्थिति उचित नहीं होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्लॉज़ जिस रूप में रखी गई है, और जो सेटिलमेन्ट किया जा रहा है उससे आम तौर से सिवाय इसके कि जो अभी रेन्ट्स कोई ज्यादा हो गया, कोई बारानी के बजाय चाही दर्ज कर ली, कोई गलत नाम से खाता दर्ज कर लिया, इन शिकायतों के अलावा जहां तक केश रेन्ट्स का सवाल है राजस्थान का किसान इस व्यवस्था को पसन्द करता है और जब कि आम तौर से लोग इसको पसन्द करते हैं तो इसमें परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। इसलिये जो इसके अन्दर है, मेरा ख्याल है, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री जवानसिंह—लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद भी क्या राजस्व मंत्री की यह मर्जी है कि राजस्थान का सेटिलमेंट मेन्युअल दिन की रोशनी नहीं देख सकेगा। क्या अभी तक उनका यही विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं, यह विचार नहीं है। वैसे यूनीफार्म रूल्स लागू किये हुए हैं और जब कि रेवेन्यू बिल पास हो जायगा तो सेटिलमेंट मेन्युअल उसके अन्दर पब्लिश कर दी जायगी।

श्री सभापति—क्लॉज़ ७२ में एक अमेन्डमेन्ट श्री एच. के. व्यास का था जो कि मूव नहीं हुआ। दूसरा अमेंडमेंट है श्री श्रीदास गोयल का। (श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) You accept it. (श्री सुखाडिया की मौन स्वीकृति के पश्चात्) इसको मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि श्री गोयल का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री श्रीदास गोयल का अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ।

(विराम)

[श्री सभापति]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७२, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७२, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ७३ और ७४ में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इनके पास करने के बावत मत लिया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Chairman Sir, general discussion on clause 74.

श्री सभापति—Do you want to speak on this clause?

श्री श्रीभानसिंह—If you permit me.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अमेन्डमेन्ट के बिना हर क्लॉज़ पर जनरल डिस्कशन रखें तो मुश्किल हो जायगा।

श्री श्रीभानसिंह—The clause can be generally discussed. Such was the ruling of the chair.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—It can be opposed or supported.

श्री सभापति—But you see we have adopted a procedure that discussions can be held on clauses without amendmenats and I allow Shri Shribhan Singh to speak on clause 74.

श्री श्रीभानसिंह—(खड़े होने के पश्चात्) Mr. Chairman, Sir, Clause 75 or 74?

श्री श्री गोयल—What was your suggestion?

श्री श्रीभानसिंह—I am speaking on clause 75.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—There is an amendment on Clause 75.

श्री सभापति—Then it seems you have not followed me. I think you better take your seat, if you do not want to speak on Clause 74.

श्री श्रीभानसिंह—Thank you.

Page No.31

श्री सभापति—क्लॉज़ ७३ और ७४ पर कोई अमेंन्डमेंट नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड ७३ व ७४ विधेयक में अंगरूप से जोड़े जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज ७३ और ७४ विधेयक में अंग रुप से जोड़े जावें।

श्री सभापति—क्लॉज़ ७५ पर एक अमेन्डमेंट श्री एच. के. व्यास का है; but he is absent.

(विराम)

दूसरा अमेंडमेंट भी श्री एच.के. व्यास का है और वे गैर हाजिर है। श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास-गोयल क्लॉज़ ७५ में मैंने एक अमेंडमेंट रखा है और वह इस तरह है "The Rent rate Officer shall publish in such manner as may be prescribed the proposals and records made by him under the foregoing sections and shall receive and consider an objection which may be made to them" 'which may be made' वर्ड्स कुछ अटपटे से लगते हैं और इससे पूरा सेन्स कनवे नहीं होता। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इनके स्थान पर "which may be made in respect of such proposals and records" यह सब्स्टिस्यूट कर दिया जाय इससे मतलब साफ ही जाता है। आफ्टर अमेंडमेंट इसको इस तरह से पढ़ा जायगा :

"The Rent Rate Officer shall publish in such manner as may be prescribed the proposals and records made by him under the foregoing sections and shall receive and consider any objection which may be made in respect of such proposals and records." यही मेरा एमेन्डमेंट है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, this clause 75 is a clause which deas with matters of procedure and the House will be of opinion that there can be hardly any discussion on this, because it is a simple clause. But the theme I want to discuss and take the opportunity of discussing, to put it generally, is centralisation of power, and to put it particularly with reference to this clause, is the line :

"and shall submit them for the sanction of the State Government."

[श्री श्रीमानसिंह]

I have taken this earliest opportunity to discuss this, lest the Members should compliment me for not bringing it to the notice of the House, while the Government was slowly but surely assimilating to itself the tiniest power of even appointing and suspending lowest officials.

This theme of centralisation of power has been the subject of so many speeches during the Budget. But it seems that it has carried no effect ? May I, with your permission, Sir, also humbly contribute to it ? Our approach to this problem must be based on certain facts, on certain figures. Wthout this, in this scientific age of ours, it is rather difficult to convince any member of this House. I will, therefore, take this House right from the desert tracts of the North to the hilly tracts of the South and from the fertile plains of the East to the deserts of Jaisalmer with the density of population being one man to six sq. miles. Such is the geographical condition, such is our vast area. But still in all our legislative measures, in all our bills we have got one principle, the principle of centralisation of power. We will also feel the condition of our population in this vast area. The majority of our population is ill-fed, ill-clad and ill-housed. They have not yet absolutely freed themselves from the clutches of fendal economy. Our areas lack in means of communications. we have not made any progress as regards the means of communication. The hilly tracts of the south during the rains are separate from the main land on account of breach of communications.

With these peculiarities and diversities in the land we continue to keep the key-note of our administration as centralisation. In the process in which a paper comes and decisions are taken, right from the lowest patwari, there is a hierarchy of officials. Are any of them aware of stages that their orders will go through ? They are not aware of their power. They give their opininions, but the final decision is left with the State Government. Is this, Sir, conducive to the efficiency ? Is it conducive to the quickness of work ? Is it conducive to cheapness of justice, to the cheap in parting of justice ? My answer, Sir, is in the negative.

If we refer to clause 16C, we will see that we are providing a place for Commissioners. I would term them as a clearing house for files. Have they any significance, have they to play any important role in our administrative structure ? Yet we did give him a place. We have given that power at the lower level, but the finality of the decisions is with the Collector.

Page No.33

[श्री श्रीभानसिंह]

Not only this. Sir, the charge levied in the times of the British people was that the administration is top-heavy, which besides other things meant a maintenance of 'white elephants', i. e., without any function. We are still maintaining them.

Not only this. If we talk from the side of efficiency, the officers do not know what powers they have, whether their decisions will be final; because there is a hierarchy over them.

Thus in this democracy, we must give to the people cheap and efficien justice and this we can only do by decentralisation of power or decentralisation of administration. It seems, Sir, that there is a certain amount of regard which this Government has for bureaucracy. It does not want to invest the officials with full powers. Even in this clause under discussion the Revenue Board has not been given final powers. We can give to the Revenue Board the final power- Why should we give final power to the Government?

Not only this. I will go to the extent of saying that the Government mistrusts its own officials. If this House look to the emergency clause, it will find that in times of emergency the power of issuing attested copy has not been left with the lower officers. That only means that whatever we want to do quickly and smoothly we cannot do. There is a maxim that "delay defeats justice.' If you give to the people justice when the time is passed, you do not hold much water. Not only this, even the principles of award have not been followed in this Bill. An Award must always be final. On the one hand, we have given powers to the Tehsildar to give an award but on the other hand, we hav taken that power back, that there can be an appeal. The principle of award, as far as I understand, is only this that decision of a particular officer is final and there the matter once for all ends. But slowly and gradually this mistrust must be abolished. The Government must decentralise power if you want to make democracy a reality, if you want to have an efficient Government if you want to see democracy at work, the power of the Government, the admi nistration must be decentralised, with a view that there may be cheap and inexpensive and efficient administration.

Therefore,I would request this House and also the Hon'ble Miniser that wherever there are instances of delegation of power by centralisation we must delete them. Accept their deletion. As regards delegation of powetsinalr,I

[श्री श्रीमानसिंह]

the democracies of the world the rule-making power is delegated to the Government. There, Sir, I haveno grudge. I hope this House will have no grudge. But to delegate quasi-judicial power to the Government is against all cannons of democracy. I would refer the Hon'ble Minister to one of the judgments of the Supreme Court. This is a lengthy judgment, but the judgment is that the House should never delegate quasi-judicial power to the Government. Therefore, with this, I humbly submit before this House that let us now make the administration decentralised with a view that the poorer people in this vast area of Rajasthan may have quick, efficient and inexpensive administration.

[श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६,) के खड़े होने पर]

श्री उपाध्यक्ष— No, no. I do not think we are taking it as a general debate.

श्री **भैरोंसिंह** (वि० सं० १६)—मैंने एक संशोधन रखा है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाये तो मैं उसे अमेंडमेंट के रूप में पेश कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—Is there any Special thing ?

(विराम)

Is there any amendment.

(श्री भैरोंसिंह का संशोधन श्री राजस्व मंत्री द्वारा श्री उपाध्यक्ष को मिलने के पश्चात)

श्री **भैरोंसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७५ में मेरे तीन संशोधन हैं। सब क्लॉज़ ३ की आखिरी लाइन में आये हुए ये शब्द : " and shall submit them for the sanction of the State Government". इनको डिलीट कर दिया जाय।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि सब क्लॉज़ ४ को डीलीट कर दिया जाय। मेरा तीसरा संशोधन आखिरी सब क्लॉज़ ५ में इस प्रकार है:

"the words 'Revenue Board' be substituted for the words 'the State Government'.

माननीय उपाध्यक्ष, अभी इस विचार धारा को लेकर इस सदन में माननीय एक सदस्य ने यहां बातें रखी थीं। मैं समझता हूँ कि वे काफी विचारणीय हैं और वजनदार भी है।

Page No.35

[श्री भैरूं सिंह]

अक्सर यह देखने में आया है जिस तरह कि मेरे माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार एक तरफ तो यह कहती जाती है कि हमारे पास काम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जरूरी कामों की ओर भी सरकार अपना ध्यान नहीं लगा सकती है और दूसरी तरफ जब सरकार कानून बनाते समय, किसी प्रकार के नियम बनाते समय, यह रख देती है कि सरकार हर तरह के अधिकार अपने हाथ में ले ले। एक तरफ हमने रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दे दिए, यह सरकार कहती भी है, मानती भी है और दूसरे लोगों को मनाने की कोशिश भी करती है कि जितने रेवेन्यू मामले होंगे उनमें रेवेन्यु बोर्ड आखिरी सत्ता होगी और दूसरी तरफ उसके फैसलों की अपील सुनने का अधिकार अपने पास रखती है।

वैसे आज इस एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को विश्वास नहीं रहा। इसके साथ लोगों को राहत मिलती है, जब वे देखते हैं कि भारत का जूडिशियरी विभाग एग्ज़ीक्युटिव विभाग से ठीक है। इससे उनको संतोष मिलता है कि अगर एग्ज़ीक्युटिव से न्याय नहीं मिला तो फिर जुडिशियरी में जूडिशियल कोर्ट्स में मामला रखेंगे और वहां से न्याय मिलेगा। जुडिशियरी में भी अगर जुडिशियल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन नहीं रहा तो फिर सरकार यह नहीं समझे कि बाकी के काम और कोई करेगा, वह सरकार ही करेगी।

जितने काम अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं वे सरकार के अंग हैं और सरकार उनके द्वारा अपने कामों में उनसे सहयोग लेती है। जिन लोगों से सरकार इस प्रकार का सहयोग लेत है और जिन लोगों के द्वारा वह अपनी पॉलिसी को चलाना चाहती है वे सरकार के विश्वास पात्र हैं कि नहीं। आज-कल के भ्रष्ट युग में जब कि छोटे में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों में भी रिश्वत का बोलबाला है तो सरकार को कहीं गलत फहमी नहीं हो जाय कि रेवेन्यु बोर्ड में अच्छे अच्छे अधिकारी मुकर्रर किए हुए हैं कि वे रेंट रेट ऑफीसर्स के द्वारा रेंट रेट मुकर्रर करने के सुझाव सरकार के पास रखवावें। सरकार के रेंट रेट ऑफीसर्स सरकार की पोलिसी को केरी आउट करने वाले हैं, उनको हिदायत कर दी गई और उन्होंने सरकार की हिदायत के माफिक अपनी रिपोर्ट रेवेन्यू बोर्ड के पास भेजी। रेवेन्यू बोर्ड यदि उचित समझे तो स्वीकार कर ले और उचित समझे तो मोडिफिकेशन करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजे और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे स्वीकार करे और अगर चाहे तो उसमें मोडिफिकेशन कर दे। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस अफसर को हम अधिकार दें तो उसके यहां अपील वगैरह हो तो एक दो स्थानों पर ही अपील हो। यहां हमने यह सिस्टम बुरा रखा है कि पटवारी पहले देखेगा, फिर ए० एस० ओ० फिर एस० ओ० के पास अपील चलती रहेगी; तो सेटलमेंट ऑफीसर के सामने आवेदन पत्र पेश करेगा, रेकार्ड पेश करेगा। दूसरी तरफ चलते हैं तो एक रेंट रेट मुकर्रर कर दिया उसके बारे में जो गलती छोटे ऑफीसर के सामने होगी वही गलती बड़े आफिसर के सामने होती है और रेवेन्यू बोर्ड में जाती है तो उसके साथ में वही दलील होगी। रेवेन्यू बोर्ड से सरकार के सामने जाता है तो उसी तरह की गलती होगी।

[श्री भैरूंसिंह]

आज रेवेन्यू बोर्ड में जिस चीज का न्याय हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट में जाकर उस मामले में अन्याय हो जाता है। अगर रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी राय न्यायानुकूल दी है तो गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट में इससे विपरीत अनुचित कार्यवाही की जाती है। तो इस तरह यह जुडिशियल और एग्ज़ीक्युटिव डिपार्टमेंट के पॉवर सेंट्रलाइज़ करने की नीति ठीक नहीं है। सरकार अन्य कामों के अधिकार, जितनी रेवेन्यू की बातें होने वाली हैं, जो एग्ज़िक्युटिव की चीजें हैं, उनको ऐसे अधिकारियों को दे दे जिन पर जनता विश्वास रखती हो, ऐसे महकमों को दे दें जिन पर सरकार और जनता, दोनों का विश्वास हो। रेवेन्यू विभाग के काम का अगर फैसला देना है तो वह रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा हो और वह फैसला सब के सब को मान्य हुआ तो यह आवश्यक नहीं रहता कि सरकार को रेफर करें और सरकार को पूरे अधिकार दे कि रेवेन्यू बोर्ड के सुझावों में भी सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है, चाहे तो स्वीकार कर सकती है, और चाहे तो उनमें मोडिफिकेशन कर सकती है। रेवेन्यू बोर्ड पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिये। वहां वकीलों की चालें न चले और न सेक्रेटेरियेट की, जिसमें कि मामूली ऑफीसर के कोर्ट की तरह का काम हो रहा है, उसका दखल हो। सरकार ऐसे मामलों का अगर सही डिस्पोज़ल चाहती है, और अगर काश्तकारों को लिटिगेशन से बाहर निकालना चाहती है, अगर लिटिगेशन को कम करना चाहती है और यह चाहती है कि लोगों को संतोष मिल जाय जिस किसी महकमें में जाय, तो उसे यह करना होगा।

सेक्रेटेरियेट में हर आदमी के पास अप्रोच कर सकते हैं। सेक्रेट्री के पास जा सकते हैं, मिनिस्टर के पास जा सकते हैं लेकिन रेवेन्यू बोर्ड में किसी के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता और किसी की एप्रोच नहीं होने से वहां पर किसी प्रकार का इन्फ्लुएन्स नहीं होगा और जब किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा तो वहां पर न्याय होगा।

यहां राजस्थान के गरीब काश्तकार जनता का प्रश्न है। इस प्रकार से लोग आगे सेक्रेट्रियेट में रिप्रेजेन्टेशन करते गये और उसमें समय लगता रहा तो मैं यह कहूंगा कि काश्तकारों को कोई राहत नहीं मिलेगी। हमने कई दफा सदन में माननीय मंत्रियों को कहते सुना है जिसमें उन्होंने कहा है, कि हमें अपने अधिकारियों पर विश्वास है। जब सरकार को अपने अधिकारियों की न्याय प्रियता पर विश्वास है तो फिर सरकार को इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि रेवेन्यू बोर्ड द्वारा दिये गये फैसले पर भी सरकार कोई न कोई अपना अधिकार रखना चाहती है। रेवेन्यू बोर्ड आखिरी स्टेज है और वहां पर कानून के अनुसार फैसला देने के बाद किसी को अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह उसकी अपील सुने। जो लोग रेवेन्यू बोर्ड में अपना नाजायज फायदा नहीं उठा सकते वे सेक्रेटेरियेट में रिप्रेजेन्टेशन करते हैं। गरीब काश्तकारों की आदत नहीं कि वे सेक्रेटेरियेट में जावें। इसके अलावा सेक्रेटेरियेट में वकील एप्रोच नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों का वहां एप्रोच है वे लोग अपना नाजायज फायदा उठा लेंगे और मुझे भय है कि अगर किसी रेवेन्यू बोर्ड के फैसले में सरकार मोडीफिकेशन करना

[श्री भैरूंसिंह]

चाहेगी तो उन लोगों के सुझाव पर कुछ कार्य करेगी। रेवेन्यू बोर्ड को लिखेगी और रेवेन्यू बोर्ड ने जो निष्पक्ष फैसला दिया है उसको हटा दिया जावेगा और इससे काश्तकारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो "and shall submit them for the sanction of the State Govrnment" शब्द हैं वे हटा दिये जावें और इनके बाद यह क्लॉज़ इस तरह से रह जावेगा :

"On receipt of the proposals and records submitted by the Rent Rate Officer under sub-section (2), the Board may approve or vary such proposals after such inquiry as it may deam fit."

इसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड को आखिरी अधिकार होगा, वे अपना जिस प्रकार उचित समझें निर्णय दे दें।

सब क्लॉज़ (४) में जोकि इस प्रकार है:

"The State Government may sanction the proposals with or without modification or may return them to the Board for reconsideration."

उसमें मेरा संशोधन है कि यह सारी चीज़ भी हटा दी जावे ताकि यह दिक्कत रेवेन्यू बोर्ड में नहीं रहे और रेवेन्यू बोर्ड जो करेगा वह इन्साफ करेगा और उनमें भी आत्मीय संतुलन होना चाहिये। सैल्फ कॉन्फिडेन्स क्रीएट करना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह न्याय संगत होती है। जुडिशियल फैसले न्याय युक्त होते हैं। उनमें सेल्फ कॉन्फीडेन्स क्रीएट किया जाय कि जो कुछ वे करते हैं, न्याय संगत करते हैं और अगर किसी प्रकार कानून की कमी से कोई अन्याय पूर्ण बात हो गई है तो वह सारी चीज दूसरी जगह जाकर ठीक हो जावेगी। यह तो नहीं हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपना उसमें दखल दे। इस कारण से जुडिशियरी में हमारा विश्वास बना है और वही विश्वास हमको यहां पर भी बनाना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला इन मामलों में आखिरी फैसला हो, जिस प्रकार जुडिशियरी में हाई कोर्ट का फैसला होता है हम राजस्थान में हाईकोर्ट के मुकाबले के फैसले रेवेन्यू बोर्ड से होते हैं, ऐसा विश्वास चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड को यह अधिकार होना चाहिये कि वह जिस प्रकार न्यायोचित समझे अपना फैसला दे। इसमें सरकार को कोई दखल नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (४) को हटा दिया जावे और सब क्लॉज़ (५) में जहां "Rent rate finally Sanctioned by the state Government" में जहां 'State Government' का प्रश्न आता है उसकी एवज में 'revenue Boord' कर दिया जावे। इससे सरकार को भी उलझन में नहीं पड़ना पड़ेगा और रेवेन्यू बोर्ड में उन लोगों को जा कर उचित न्याय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मैं माननीय रेवेन्यू मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ सुझाव मैंने बताया है और जो कुछ बातें मैंने कहीं हैं अगर उनको मंजूर कर लें

[श्री भैरूंसिंह]

तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ लिटीगेशन कम होगा और सरकार लोगों में व अधिकारियों में सेल्फ कोन्फीडेन्स पैदा करेगी और ऐसा करना डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। इसलिए इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र दांता रामगढ़ से आने वालों ने जो प्रोपोजल रखा है उसके विरोध में कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैं आपके भाषण को समझ पाया हूं वह आपके वहम का प्रश्न है। आपको वहम हो गया है और इस वहम में आप यहां तक कह गये हैं कि सेक्रेटेरियेट में पता नहीं क्या क्या मनमानी हो जाती है। इसका तो केवल जवाब यही है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं रहा, सो हमारे पास तो हो ही कैसे सकता है ? इस प्रकार की बातें कह कर बिना आधार के लांछन लगाना शोभनीय नहीं होता। 'स्टेट गवर्नमेंट' जैसा की आम तरीका है किसान लोग या दूसरे लोग उसके पास रिप्रेजेन्टेशन करते हैं और बहुमत में लोग, मैं समझता हूं, यही ख्याल करते हैं कि गवर्नमेंट किसानों के हित में विचार करेगी और उनके हित को देखेगी। मगर आप यही ख्याल करते हैं कि गवर्नमेंट किसानों के हित में कोई विचार नहीं करेगी और रेवेन्यू बोर्ड ही सब कुछ कर लेगा। सरकार के लिये आपको यह तर्ज कहां तक दुरुस्त है कि सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो और रेवेन्यू बोर्ड को ही फाइनल ओथरेटी करार दे दिया जावे ? जब आप यह कहते हैं कि रेन्ट रेट ऑफिसर पर आपको विश्वास नहीं आप उस पर भी वहम करते हैं और दूसरे सेक्रेटेरियेट के लोगों पर भी वहम करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप रेवेन्यू बोर्ड पर किस प्रकार विश्वास करते हैं, वे भी तो सर्विस क्लॉस के आदमी हैं। उनके लिये आप इस प्रकार के तरीके रखते हुए कैसे सोच सकते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आपकी दलील इस कहने से खुदब खुद लंगड़ी रह जाती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि मालिकाना अधिकार जमीन पर सरकार का है और सरकार में केन्द्रीभूत है। लाखों बीघा जमीन सरकार की है और अन्तिम रुप से सरकार को यह देखना जरूरी होता कुछ रेन्ट रेट है कि जो कायम की गई है वह दुरुस्त है या नहीं ? इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि फाइनल ऑथोरिटी सरकार में ही केन्द्रित रहनी चाहिये, मेरे मित्र जो भरतपुर से तशरीफ लाये हैं, उन्होंने जो फरमाया कि तमाम विभागों का जो प्रोसीजर है वह सबसे ज्यादा सुन्दर और सही है। जिस किसीको किसी प्रकार का ओब्जेक्शन हो...

श्री श्री भानसिंह—It also comes to the State Government. It does not end with the Revenue Board, if you look at clauss 65.

श्री श्रीदास गोयल—अगर एतराज है तो वह अपना एतराज रख सकते हैं। उसको रेवेन्यू बोर्ड चाहे तो उसको मोडीफाइ करके या वैसे रखकर उसको अन्तिम मन्जूरी के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट के पास भेज दे क्योंकि दूससे स्टेट गवर्नमेन्ट की तमाम लेन्ड पर प्रभाव पड़ सकता है। जो करोड़ों रुपयों की आय जिससे होती है उसको स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार यदि किसी को दिया जा सकता

[श्री श्रीदास गोयल]

है तो वह स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसी परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेंट को फाइनल ऑथोरिटी रखने के सिलसिले में जोदलोल दी जा रही है, जो संदेहात्मक विचार पैदा किये जा रहे हैं, वे दुरुस्त नहीं हैं। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये, एक एक चीज़ को दोहराकर कहना और अकारण ही उनको बढ़ा-चढ़ाकर गलत आभूषण पहनाकर कहना वांछनीय नहीं है। इतना ही निवेदन कर मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि यह ७५ वीं क्लॉज़ मेरे एमेन्डमेंट के साथ स्वीकार की जाय।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो क्लॉज़ विचारार्थ सदन से सामने प्रस्तुत है उस पर दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एमेन्डमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसी समर्थन के सिलसिले में कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं।

पहली बात तो इस क्लॉज़ को देखने से यह मालूम होती है कि सबसे पहले रेन्ट रेट ऑफिसर कुछ प्रोपोज़ल्स तैयार करेगा पूरी इन्क्वायरी के बाद। वह रेन्ट ऑफिसर इस प्रकार प्रोपोजल तैयार करने के बाद उसको रेवेन्यू बोर्ड को सुपुर्द करेगा। रेवेन्यू बोर्ड उस पर विचार करने के बाद, उसको फाइनेलाइज़ करने के बाद, उसको स्टेट गवर्नमेन्ट के पास आखिरी सेंक्शन के लिए भेजेगा। आखिरी सेंक्शन के वक्त स्टेट गवर्नमेंट अगर यह सिफारिश करे कि इस पर फिर विचार किया जाय तो वह वापिस लौट कर रेवेन्यू बोर्ड के पास आयगा और उसके बाद रेन्ट ऑफिसर के पास जायगा। इस तरह से एक दफा कार्य को फिर करने के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट लौटा देती है तो उसमें कितना समय लग सकता है। जब कि रेवेन्यू बोर्ड ने एक बार इन्क्वायरी के बाद अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेन्ट के पास पेश कर दी, उसको फिर वापिस इन्क्वायरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम रेवेन्यू बोर्ड पर अविश्वास करते हैं जिसने अपने पूरे दृष्टिकोण से पहले विचार करके जो चीज़ भेजी है उस दृष्टिकोण को पुनः बदलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उसे फिर रेवेन्यू बोर्ड के पास भेजती है। अभी एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि सरकार के पास जाना इसलिए आवश्यक है कि वह सरकारी दृष्टिकोण से उस पर विचार करेगी। मैं नहीं समझ सका कि सरकारी दृष्टिकोण और क्या हो सकता है, सरकार के पास ऐसा कौनसा दृष्टिकोण है जो जनहित के अतिरिक्त और किसी विशेषण या संबोधन से संबोधित होता हो। सरकारी दृष्टि से सोचने की आवश्यकता यहां नहीं होनी चाहिये। इसलिए सब से पहले सरकारी दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति रेन्ट ऑफिसर है जो सब तरह से उपयुक्त है। वह रेन्ट की दरें मुकर्रर करते समय सरकारी दृष्टिकोण को अपने सामने रखे जब कि रेन्ट ऑफिसर को मुकर्रर करने या हटाने की और सम्पूर्ण सर्विस के कायदे-कानूनों को कन्ट्रोल करने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या यह माना जाय कि रेन्ट रेट ऑफिसर सरकारी दृष्टिकोण का उसमें ख्याल नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के दृष्टिकोण को सामने नहीं रखेगा, बिना सोचे-समझे या विचार किये रेवेन्यू बोर्ड को भेज देगा ? यह तो एक तरह से इन्क्वायरीज़ करके इधर-उधर से जो कागजात होंगे उनको गोलमाल करने का प्रयास है इस प्रकार कार्य को लम्बा बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है।

[श्री तनसिंह]

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि एक तरफ तो हम सारे के सारे जितने भी अपील के अख्त्यारात हैं वह रेवेन्यू बोर्ड को दे रहे हैं, यह बताने के लिए कि हमारा विश्वास रेवेन्यू बोर्ड में है, हालां कि आपके कथनानुसार सेक्रेटेरिएट को निष्पक्ष कहा जा सकता है। किन्तु हमने इस विषय में रेवेन्यू बोर्ड को ऑथोरिटी माना है, जिससे काश्तकारों को रिलीफ मिले, तो एक ओर तो हम निष्पक्षता का परिचय देने के लिए रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करते हैं, और दूसरी ओर बोर्ड के कार्य में विश्वास नहीं करते, जिन तथ्यों को सामने रख कर वह बोर्ड अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रखता है जो बहुत जांच-पड़ताल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है, उन तथ्यों और प्रोपोज़ल्स को आखिरी सेंक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना जरूरी है यह उचित तरीका नजर नहीं आता। हम जनता को भुलावे में डालने के लिए यह कोशिश करते हैं कि हमें न्याय में सुविधा हो इसलिए रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करते हैं। दूसरी ओर हम स्वयं उनके कार्यों की अवज्ञा करके, जिन्होंने लम्बी-चौड़ी जांच करके जो चीज़ रखी है, उसके सेंक्शन की आखिरी मंजिल अपने पास रखकर उसको वापिस करने का अधिकार चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से गवर्नमेन्ट द्वारा सेंक्शन करने के प्रोपोजल रखने का केवल मात्र एक उद्देश्य हो सकता है और वह यह कि गवर्नमेंट अपने पास पॉवर रखना चाहती है! जो न्यायपूर्ण प्रोपोज़ल्स बोर्ड द्वारा, रेट रेन्ट ऑफिसर द्वारा, जो स्थानीय परिस्थितयों से पूर्णतया परिचित हैं, उनके प्रोपोजल्स की अवहेलना कर स्टेट गवर्नमेंट अपने पास अधिकार रखना चाहती है। इस बात से पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात में पूर्णतया अपनी मन्शा साफ नहीं रखती है। वह एक प्रकार से अनुदार दृष्टिकोण रखती है। जो स्टेट गवर्नमेंन्ट डाइरेक्ट्ली लेन्ड रेवेन्यू वसूल करती है उसके पास इस प्रकार अधिकार रखना सैद्धान्तिक रूप से भी गलत है। जैसा कि अभी मेरे पूर्व बोलने वाले वक्ता ने बताया कि सेक्रेटेरियट में बड़ा भारी अन्याय होता है। इस प्रकार के विचार रखना उनके ख्याल में वहम हैं और जिसके लिए आपने फरमाया कि उस वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है; ठीक है मैं कोई लुकमान हकीम तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि किस प्रकार को धांधले बाजो सेक्रेटरिएट में होती है। किस प्रकार ऐसे अधिकारों का दुरूपयोग होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा। मैंने सदन में एक प्रश्न पूछा था। एक रिपोर्ट जो किसी इलेक्शन पिटीशन के सिलसिले में थी वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की मैंने प्रार्थना की थी। इस विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके लिए यह कहा गया कि इलेक्शन पिटीशन्स होती हैं, वह हम एडीशनल कमिश्नर के पास इन्क्वायरी के लिये भेज देते हैं। इन्क्वायरी के बाद वह रिपोर्ट हम इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजते हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से तथ्यों के आधार पर मालूम है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने निश्चित रूप से गवर्नमेंट के विरूद्ध और इलेक्शन पिटीशन्स के पक्ष में सलाह दी थी और उस बारे में कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन काल किया जाय, इस प्रकार का निर्णय दिया था। लेकिन सरकार के पास एक लम्बे चौड़े अधिकार होने से निश्चित तथ्यों के होने पर भी बिना किसी

[श्री तनसिंह]

रीज़न्स के सरकार ने उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया । उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिए यह बताया गया, उस रिपोर्ट की साधारणतया नकल मांगने पर हरेक को मिल सकती है । जब मैंने इसके लिए मांग की तो वे अधिकारी जिनके पास इसके कागजात हैं वे कहते हैं कि ये कागज तो हमारे पास नहीं हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि कुछ मर्यादाएं इस कानून में डाल दी गईं तो हम जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, जो निष्पक्षता का बर्ताव करते हैं और स्वयं अपने हाथ में इस प्रकार के अधिकार रख लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अधिकारों को न्यायपूर्ण नहीं कह सकता । यह तो सरकार केवल अपने स्वार्थ के उपयोग के लिए, जिस प्रकार उस रिपोर्ट को छिपा दिया गया, उसी प्रकार हर बात में निर्णय दे सकती है ।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को देना एक प्रकार से सरकार को ऐसे अधिकार देना है जो अधिकार आज तक सेक्रेटेरियेट में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हमेशा से रखते आ रहे हैं और इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के प्रोपोज़ल्स को मन्जूरी के लिए सरकार के पास भेजने की क्या आवश्यकता है ? इन सब बातों और तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जो दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है उसका समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसको स्वीकार करे ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७५ इस बात का तरीका निर्णय करती कि रेन्ट रेट्स मुकर्रर करने के बाद में किस तरह से उस पर अमल किया जाय और पब्लिश करने के बाद ओब्जेकशन्स होने के बाद में रेन्ट रेट आफिसर इस चीज को फाइनल करके अपनी रिकमेन्डेशन के साथ रेवेन्यू बोर्ड के पास भेजेगा और बोर्ड अपनी रेवेन्यू की दृष्टि से सारे रेन्ट रेट्स को देखकर उसको कुछ तरमीम करना हो तो करके, स्टेट गवर्नमेन्ट के पास फाइनल मन्जूरी के लिये भेजेगा । मेरे ख्याल से यह जो तरीका है उस पर जो संशोधन दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और उस संशोधन पर भाषण देते हुए जो बातें सरकार के विरोध में कही गई है वे बिल्कुल भी किसी भी हद तक शोभा की बात नहीं है । उन्होंने अपने भाषण के दौरान में यह बताने की कोशिश की कि इस प्रकार के तरीके रखने से कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट यानी कुछ नयी क्लास के लोग पैदा हो करके सरकार के पास से अपनी मरजी के मुताबिक फैसला करवा लेंगे, और जो रेवेन्यू बोर्ड एक ओथोरिटी है उसके पास तो वे नहीं जा सकते, इससे जो कुछ फैसला रेवेन्यू बोर्ड करता है वह न्याय संगत होगा । उनकी राय थी कि फाइनल संक्शन के लिये रेवेन्यू बोर्ड को ही आथोरिटी दी जाय । जो कुछ बातें इसके आग्युमेन्टस के सिलसिले में कही गई हैं मैं उनको बिल्कुल मानने के लिये तैयार नहीं हूं । जैसा कि साफ है कि हर स्टेट गवर्नमेन्ट एक बडी लेन्ड होल्डर है, इसके पास ज्यादातर जमीन पर सब लेटिंग के हक माने गये हैं । आजकल हमारे यहां पर बीच में एक मिडिल क्लास थी उसे हमने कानून के जरिये समाप्त कर दिया है

[श्री नाथूराम मिर्धा]

और वह प्रथा समाप्त होने जा रही है। इसके बाद में यह कहना कि रेन्ट रेट्स फाइनली सेंक्शन करने का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को होना चाहिये, गवर्नमेंट की कोई दखलन्दाजी नहो होनी चाहिये। लेकिन जिस स्टेज से हम आज गुजर रहे हैं यह किसी हद तक वाजिब नही है। वह वाजिब इसलिये नहीं है कि आमतौर से सेटलमेंट के नीचे के दर्जे के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिस और तरीके से हमारे सेटलमेंट का तरीका चालू है उसमें कई स्टेजेज में कई प्रकार की गड़बड़ियां रहती है और स्टेट गवर्नमेंट ही एक ऐसी बोडी है जो आज आम जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है और जो आम जनता के बहुमत द्वारा निर्वाचित बोडी है। फाइनल ओथोरिटी के सामने जहां जनता का हर व्यक्ति पहुँच सकता है, अपनी सारी बातें रख सकता है। रिप्रजेन्टेटिव की हैसियत से या इनडीवीज्यूअल की हैसियत से एप्रोच कर सकता है। ऐसे मौके भी सरकार के सामने आ सकते हैं कि जो रेवेन्यू बोर्ड के सामने नहीं आ सकें। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का जो इशारा किया गया है वह मेरी समझ में किसान से हो सकता है। वेस्टेड लेकर के किसान जायगा तो सरकार बड़ा भारी अन्याय कर देगी, उनका इस प्रकार कहने का मतलब यह था; रेन्ट रेट्स ऑफिसर ने दरों में किसी प्रकार की कमी या बढ़ोतरी कर दी है और किसान पर उस लगान का भार ज्यादा पड़ेगा; ऐसी सूरत में भी गवर्नमेन्ट के पास आखिरी में जाने का मौका रहता है चाहे वह उनकी बातों को स्वीकार करे या संशोधन करदे। यह केवल राज्य सरकार के जरिये ही होनी चाहिये। फिर भी एक मौका हर किसान को मिलता है। स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, आसपास के इलाके की लेन्ड रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए, नीचे के अधिकारियों की सिफारिश को मानते हुए इस नतीजे पर पहुँच सके कि जो कुछ भी बातें हम कर रहे हैं उसका लोगों के हित में फायदा होगा या नहीं, इस बात का अखिरकार फैसला स्टेट गवर्नमेंट को ही करना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में भी इसी दौरान में भी इसी क्लॉज़ पर काफी बहस चली थी। कुछ हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों का व्यू था कि फाइनल ऑथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड की रहनी चाहिये लेकिन सारी दलीलों के बाद में यह निश्चय किया गया कि यह ऑथोरिटी राज्य सरकार के पास ही रहनी चाहिये। राज्य सरकार के पास रहने से जो डर या शिकायत है; वह दुरूपयोग करेगी आज तक तो ऐसा दृष्टान्त ध्यान में नहीं आया है। जितने भी रेंट रेट्स मेरी जानकारी में हैं; चालीस या पचास तहसीलों की रेंट रेट्स जो कि रेवेन्यू बोर्ड द्वारा सेटल होकर आई, मेरे ध्यान में है। उसमें ऐसी बात थी जो रेवेन्यू बोर्ड ने इनवोल्व की नीचे की ऑथोरिटीज़ ने उसको बढ़ा दिया था। उससे किसानों में असन्तोष था और सरकार को देखना पड़ा और समझना पड़ा कि यह स्थिति क्या है? सरकार ने उस स्थिति की जांच करवाई। पता लगाने पर वहां की रेन्ट रेट्स पास के इलाकों से दुगुनी-तिगुनी मिली। रेवेन्यू बोर्ड ने उन रेटों में कमी करना तो दूर रहा, कई रेट्स को और बढ़ा दिया। ऐसे भी मौके आये हैं अगर वे रेट्स सरकार के सामने नहीं गई होतीं तो कई इलाकों में असन्तोष की भावना फैल जाती, जिसको किसी भी प्रकार ठीक नहीं किया जा सकता था। आजकल जब कि यह अधिकार सरकार के हाथ में है कहीं भी इसका दुरूपयोग नहीं किया। हमेशा उसका यह ध्येय रहा है कि आम किसानों को राहत पहुँचाई जाय और उसी लाइट में इन चीजों को देखें। ऐसे हकों का प्रयोग

[श्री नाथूराम मिर्धा]

किया जाय, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सन्तोष हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। इसी नियत से जो कुछ काम हो वह किया जाना चाहिये। जो कुछ भी इतिहास रेन्ट रेट्स का पुराना था वह मैंने आपके सामने रखा। ऐसी सूरत में यह भावना बना लेना कि कागज इस तरह से हो जाते हैं, वे हमेशा बिल्कुल बुरे इरादे लेकर ही सोचते हैं। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की जो बात कही गई वह मेरे ख्याल से किसान तबका ही हो सकता है···

श्री भैरूं सिंह—मेरा मतलब ऐसे तबके से हैं जो बीच में चन्दा वगैरह किसानों से वसूल करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो माननीय सदस्य ने अभी प्रकाश डाला वे लोग जो बीच में पड़कर चन्दा वगैरह वसूल करते हैं उनसे उनका मतलब था। इसके लिये मेरा इतना ही कहना है कि आजकल के किसान इतने भोले नहीं कि वे मन-माना चन्दा उनको दे दें; जितनी वे जरूरत समझते हैं उससे ज्यादा चन्दा देने वाले वे नहीं है। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का जो उल्लेख किया गया वह इतना बडा तकबा नहीं कि इस प्रकार की आमदनी से लखपति या करोड़पति हो गये हों। मैंने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं जो इस प्रकार की आमदनी से लखपति या करोड़पति हो गया हो···

श्री भैरूं सिंह—लखपति-करोड़पति नहीं तो कम से कम उनकी आर्थिक दशा तो बहुत काफी सुधर गई है

श्री नाथूराम मिर्धा—ठीक है, आर्थिक दशा सुधरी हो। वह भी चन्दा लेता है तो कुछ न कुछ काम करता ही है। बेचारा यहां आकर सरकार के सामने आवाज रखता है; उसके वाजिब हक के लिये कहता है तो उसको वह हक मिलना ही चाहिये।

आखिर में अपनी फाइनेन्शियल पोज़िशन का ख्याल करके रेंट रेट्स रखने होंगे। यह केवल सरकार ही निश्चित कर सकती है कि इस प्रकार के रेन्ट रेट्स का क्या असर पड़ेगा? अपना हर पॉइन्ट ऑफ व्यू लेकर सरकार इस पर विचार कर सकती है। किस चीज को कितना महत्व देना चाहिये, यह सरकार के अधिकार में बात रहनी चाहिये।

इसलिये रेवेन्यू बोर्ड को फाइनल ऑथोरिटी दे देना तो ठीक बात है। अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, इसके लिए भी रीज़न्स और ग्राउन्ड्स हो सकते हैं; इनको वेव भी किया जा सकता है और सरकार ने किया है। इस पर भी सरकार ने अधिकार अपने हाथ में लिया है; तो इसका यह मतलब नहीं कि वह रेवेन्यू बोर्ड की बातों को भी टाल देगी, सही कारणों पर दिये गये ठीक फैसलों को भी टाल देगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं और आगे के

[श्री नाथूराम मिर्धा]

लिए अन्दाज लगा लें तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए जो फाइनल ऑथोरिटी सरकार के हाथों में आई हैं तो वह रहनी चाहिये और मेरे माननीय दांता रामगढ से आने वाले साथी ने जो संशोधन रक्खे हैं वे मानने लायक नहीं हैं। यह कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—बहुत हो गया है। मैं समझता हूं कि अब बहस हमें बन्द करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे थोड़े में अपने विचार प्रकट करें तो अच्छा है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—जो संशोधन रक्खा है मेरे माननीय मित्र श्री भैरोंसिंह जी ने उसके समर्थन में मैं भी दो शब्द कह देना चाहता हूं और संशोधन के सम्बन्ध में कहने का कारण यह है कि सरकार ने अपना दृष्टिकोण उदार रक्खा है और सारे सवाल सरकार में निहित न हो जावें, इसका केन्द्रीयकरण न हो जावे बल्कि विकेन्द्रीकरण हो, इस दृष्टिकोण को सामने रखकर केन्द्रीय रेवेन्यू बोर्ड की सरकार ने स्थापना की है।

साथ ही रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना का यह भी उद्देश्य है कि गरिब किसान को सीधा, सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके। इस उदार दृष्टिकोण को रखते हुए जब रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करदी है और सेटलमेंट की ओर से निश्चित दरें हो जाती हैं तो फिर सरकार को अपनी सत्ता के केन्द्रीयकरण के लिए इतना सब क्यों प्रदर्शन करना चाहिये? रेवेन्यू बोर्ड चूंकि किसी भी पार्टी से भी सम्बन्धित नहीं है, इसलिये उसके फैसले किसान के अधिक हित में ही होंगे, फिर भी उसे सरकार के मन्त्रीगण, जो किसी न किसी पार्टी की ओर से नुमाइन्दे होते है, चलाते हैं इसलिए उन पर सन्देह भी जनता कर सकती है। तो मैं कहता हूं कि इस सन्देह का मौका ही क्यों आता है? क्यों नहीं सरकार इस रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को भी हाईकोर्ट के फैसले की तरह अन्तिम मान लेती है? ऐसी स्थिति में यह क्यों कहा करते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले अन्तिम न समझे जावें, बल्कि जब राज्य सरकार अपनी अन्तिम स्वीकृति दे तभी वे फैसले ठीक समझे जावें। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले अन्तिम निर्णय माने जावें और यही मेरा कहना है। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार कर लेने में माननीय मन्त्री महोदय को आपत्ति नहीं होगी।

श्री केसरीसिंह (कापरेन)—माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन हमारे माननीय सदस्य, दांता रामगढ़ से आने वाले ने पेश किया है वह बहुत वाजिब और सही है। जब सरकार रेन्ट रेट ऑफीसर मुकर्रर कर देती है और उसको यह अधिकार दे देती है कि वे अपने अधिकारों से रेन्ट्स मुकर्रर कर दें तो क्या एक रेन्ट रेट ऑफिसर के लिए यह मजाक की बात नहीं होगी कि कहीं ज्यादा और कहीं कम पक्षपात को लेकर रेन्ट मुकर्रर कर दे? वह बहुत ही जिम्मेदार अफसर होता है और वह हर पहलू पर पूरी तरह से गौर करके रेन्ट रेट कायम करता है।

[श्री केसरीसिंह (कापरेन)]

राजस्थान कोई छोटा प्रान्त नहीं है, सबसे बड़ा प्रान्त है और इसके अन्दर जो रेन्ट रेट अफसर होता है वह बहुत सोच समझ कर रेन्ट मुकर्रर करता है। उसे हर जगह के रेट्स को ध्यान में रखना पड़ता है और उसको ध्यान में रखकर ही उसे रेन्ट मुकर्रर करना होता है और वह अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस पब्लिसिटी के बाद जो भी ऑब्जेक्शन्स होते हैं उनकी दरख्वास्त होने के बाद रेवेन्यू बोर्ड इसे देखता है और यह फाइनल ऑथोरिटी होती है जो कि इस पर अपनी राय दे सकता है। इस क्लॉज़ में यह भी रक्खा है कि गवर्नमेन्ट अगर चाहे तो रेवेन्यू बोर्ड के उस फैसले या स्टेटमेन्ट में भी तरमीम कर सकती है। मगर यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब हमारी सरकार, जनतन्त्र राज्य की सरकार एक किसी रेन्ट रेट ऑफीसर को नियुक्त करती है तो उसको काम करने देना चाहिये। अगर उसके प्रति सरकार को गलतफहमी हो जावे जो कि हो सकती है, सही तौर पर भी और गलत तौर पर भी, तो सरकार का यह हक हो सकता है कि सरकार उसकी जांच करे, उस पर मुकद्दमा चलाए और अगर जरूरत समझे और उसका कुसूर हो तो उसको मुअत्तिल कर दे; पर क्या कारण है कि सरकार अपने हाथ में ऐसे अधिकार रक्खे? सरकार पलट सकती है और ऐसे अधिकारों का गम्भीर परिणाम भी निकल सकता है पर अफसर नहीं पलटते रहते हैं। इसलिए ऑफिसर्स पर जो जिम्मेदारी दे दी गई है वह उनके ऊपर पूर्णतया रहनी चाहिये। गवर्नमेन्ट का यह फर्ज है कि वह जो पॉलिसी एक बार ले डाउन कर चुकती है उसके अनुसार अफसरों को काम करने दे और इससे अधिक कुछ नहीं। अफसरों के काम के बीच में सरकार को कतई नहीं पड़ना चाहिये। इन कामों में उन्हें स्वतन्त्र रहना चाहिये।

मेरे एक लायक दोस्त ने कहा कि जनता तो सेक्रेटेरियट में या गवर्नमेन्ट के पास पहुँचने में सुविधाएं चाहती है और इस तरह अपनी तकलीफात पेश करके उसके सामने और उन्हें रफा कराना चाहती है। पर मैं कहता हूँ कि जितनी सुविधा के साथ जनता एक रेवेन्यू बोर्ड में या रेव्वेयू कोर्ट में अपनी उजरात पेश कर सकता है उतनी सुविधा और आसानी के साथ वह सेक्रेटेरियट में और इन जनता के तथाकथित मिनिस्टरों के पास में नहीं पहुँच सकता। इसलिए जो तरमीम मेरे दांता रामगढ़ से आने वाले मित्र ने पेश की है वह बहुत हद तक ठीक है और इस पर आपको गौर फरमाना चाहिये।

श्री **ईश्वरीसिंह**—मेरी राय में तो जो असल में चीज है वही ठीक है। सरकार के हाथ में अधिकार रहने चाहिये। अगर जो कानून सरकार किसानों के वास्ते बनाती है और उसके खिलाफ कोई अफसर नहीं जाता है तो सरकार उसमें दखल देगी। क्योंकि अगर कोई रेवेन्यू अफसर ठीक न्याय नहीं करे और उसकी अपील बोर्ड में की जावे और वहां अपील में भी उसको न्याय नहीं मिले तो यह तो अधिकार सरकार का कुदरती है कि वह न्याय करे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो समझता हूँ कि यह उनका बावलापन है जो सरकार के हाथ में अधिकार नहीं रखने की बात करते हैं। तो इसलिए यह तरमीम बेकार है। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेन्ट के हाथ में अधिकार रहने चाहिये और इस तरह यह जो मूल धारा है वही पास की जानी चाहिये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने दांता रामगढ़ से तशरीफ लाये हुए माननीय सदस्य ने क्लाज़ ७५ के सब क्लॉज़ (३) में एक तरमीम रखी है जिसको देखने से यह मालूम होता है कि कुछ विचित्र-विचित्र बातें आती हैं। मैं इस तरमीम का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम जो राजस्थान में काश्तकारी कानून बनाने जा रहे हैं वह इस नियत से बना रहे हैं कि काश्तकारों को जिस प्रकार भी हो अच्छी सहूलियतें दें। हम कुछ मित्रों की तरह कोई मेनिया लेकर कानून नहीं बना रहे हैं कि कोई साहब यह समझे कि सेक्रेटेरियट में यह होता, है वह होता है, कोई साहब यह समझें कि रेवेन्यु बोर्ड में यह होता है, वह होता है। कानून जब हम बनाने जाते हैं तो हमको उचित और अनुचित को देखना चाहिए। हमको यह देखना चाहिए कि हम जब काश्तकारों के हक-हकूकों को सुरक्षित रखने जा रहे हैं तो हम उनको जितनी सुविधा दे सकें, दें। उन महानुभाव ने यह फरमाया कि सरकार का बोर्ड के फैसले के बाद कोई जोर नहीं होना चाहिए और जो कुछ फैसला बोर्ड कर दे उसको सरकार को मान लेना चाहिए। इसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि काश्तकार को अगर रेन्ट डिटर्मिन करने वाले अफसर महोदय के फैसले से असन्तोष होता है तो वह जाता है रेवेन्यू बोर्ड में, और अगर बोर्ड के भी फैसले से उसको असन्तोष होता है तो वह गवर्नमेन्ट के पास जायेगा। तो मेरे मित्र का जो इस प्रकार का विचार है सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस में यह होता है वह होता है, वह बात इस चीज पर लागू नहीं होती है। अगर कोई काश्तकार बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट हो जायगा तो वह गवर्नमेंट से कहेगा कि यह काम इस तरह से किया जाय, उस तरह से किया जाय; लेकिन जो आदमी बोर्ड से असन्तुष्ट होगा वह अपने असन्तोष को दूर करने के लिए,अगर सरकार के पास जाता है व सरकार से कोई बात कहता है तो इस चीज पर पाबन्दी लगाना मैं समझता हूं न्याय का गला घोटना होगा। हमें तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को यह हक होना चाहिए कि वह अगर किसी बात को अनुचित समझता है तो उसको छूट होनी चाहिए कि वह हर प्रकार से जिस बात को अनुचित समझता है उसको सही करा सके तो इस प्रकार का जो संशोधन दांता रामगढ़ से आये हुए मित्र ने रखा है वह, मेरे खयाल से, उन्होंने इस भ्रम से रखा है कि उनको शायद सेक्रेटेरियेट में जाने का मौका कम मिलता है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—मैं ऐसे स्थानों पर जाना कम पसन्द करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—कोशिश तो आप बहुत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग आपको ले नहीं जाते हैं।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जाते तो है मगर कोई मिलता नहीं है।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—मुझे इसके बारे में दूसरी बात जो निवेदन करनी है वह यह है कि सरकार के इस प्रकार के हक होते हैं उनके कानूनों के अन्दर किसी प्रकार से केस सुनने का गवर्नमेंट का काम नहीं है, रखना गलत है। प्रत्येक गवर्नमेंट को चाहिए कि वह हर आदमी की बात सुने और उस पर गौर करें। यह कोई बात नहीं है कि सरकार बोर्ड के हर फैसले को उथल देगी। यह कह देना कि सरकार के पास हर मुकद्दमे में, हर मामले में केवल इस प्रकार की बातें होती हैं कि जिनको हमें शंका से देखना चाहिए। इन बातों को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्र अब अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे और यह क्लॉज़ जिस प्रकार से बिल के अन्दर सिलेक्ट कमेटी ने रखा है, उसी प्रकार से सदन पास कर दे।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में सपोर्ट जो दिया गया था और माननीय सदस्य जो कि नागौर जिले से आए हैं, जिन्होंने खास तौर से अपने भाषण की पुष्टि में और संशोधन का विरोध करते हुए जो निवेदन किया, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सबसे पहला कारण उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पूरा अख्त्यार, फाइनल ऑथोरिटी रेंट को तय करने की दी। उस संबंध में उन्होंने बतलाया कि सरकार के पास में रिप्रेजेन्टेटिव जा सकते हैं और अपना केस रख सकते हैं और एक मुख्य बात जो उन्होंने मानी है, जिसके जरिये से वह रेंट रेट्स को सही करा सकते हैं और चूंकि वहां पर रिप्रेजेन्टेटिव पहुंच सकते हैं। अगर उनका यह मुख्य कारण है रेंट को सरकार से ही केवल तय करवाने का अन्तिम रूप से, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अधिकार सरकार को इसलिए दिलवाने का, तो मुझे इस बात से सख्त विरोध है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक रेवेन्यू बोर्ड की निष्पक्षता को हम मानते हैं, जिस प्रकार के सिविल मेटर्स में हाई कोर्ट की निष्पक्षता का रूप हम मानते हैं, उसी प्रकार से हम रेवेन्यू के मामलों में रेवेन्यू बोर्ड का उसी प्रकार का स्थान दिया है जिस प्रकार से कि उच्च न्यायालय को निष्पक्षता का स्थान दिया है, और इस मामले में हम सिद्धांत रूप से मानते हैं। अगर इस बात का उनको डर है कि रेवेन्यू बोर्ड सही बात को तय नहीं कर सकेगा, अगर वह काश्तकार के हित में फायदे की बात नहीं करेगा और वह काश्तकारों के खिलाफ फैसले देगा, रेंट को ज्यादा करेगा, उससे किसानों को नुकसान होगा, यह ख्याल अगर उनके दिल में है तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि उनका खयाल गलत है। हमको उस बोडी कि निष्पक्षता को आवश्यक रूप से मानना होगा और उसके खिलाफ कतई कहने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। किसी को इसके लिए मौका नहीं देना चाहिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा किए गये फैसलों को इस लिहाज से रोकें, उनकी बिल्कुल खिलाफत करें कि वहां पर रिप्रेजेन्टेटिव नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि कुछ आदमी सरकार तक पहुँच सकते हैं, जो कि सरकार की विचारधारा को पलट सकते हैं, जिनमें कि इतनी क्षमता है कि वह सरकारी हुक्म को उलट पुलट कर सकते हैं। अगर उनकी यह भावना है,

[श्री जयानसिंह]

अगर उनकी यह मन्शा है कि इस प्रकार से सरकार तक पहुँच कर रेन्ट कम या ज्यादा अढ़वा सकते हैं, तो मेरे खयाल से काश्तकारों के साथ में न्याय नहीं होगा, उनके साथ में अन्याय होगा। मैं मानता हूँ कि सरकार के पास कुछ आदमियों की पहुँच हो सकती है। कुछ रिप्रेजेन्टेटिव की पहुँच होगी तो उस चीज में उनका आना हो सकता है, मेरा आना हो सकता है, दूसरे का आना हो सकता है। लेकिन साधारणतया किसी आदमी को कैसे विश्वास हो सकता है, कि सरकार के पास रहने वाले उनके निजी आदमियों तक रिप्रेजेन्टेटिव की पहुँच हो सकती है। अगर उनके कहने से ही रेन्ट रेट्स में अदल या बदल हो सकती है तो वह बहुत बुरी चीज होगी। यह राजस्थान के किसानों के साथ में न्याय नहीं होगा बल्कि केवल उन कुछ आदमियों के स्वार्थों की पूर्ति होगी जिनकी पहुँच सरकार तक हो सकती है। इसलिए मैं इस चीज का कड़ा विरोध करता हूँ। मैं राजस्व मंत्री से इस चीज के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ख्याल को लेकर कि चूंकि रिप्रेजेन्टेटिव उन तक पहुँच सकते हैं सरकार अपने हाथ में उसकी बागडोर रखे, इस चीज का अन्तिम फैसला देने का अख्त्यार अपने हाथ में रखे, ऐसी धारणा अगर माननीय सदस्य की है तो इस धारणा को माननीय राजस्व मंत्री जी कुबूल नहीं करें। मेरा इससे सख्त विरोध है। इसकी खिलाफत करता हूं कि केवल एक आदमी की पहुँच है तो वह बहुत बुरी चीज है। यह काश्तकारों के साथ अन्याय करना होगा। हम जानते हैं कि माल कानून के तहत रेवेन्यू बोर्ड को पूरे अधिकार होने चाहिए क्योंकि निष्पक्षता के साथ में एक एक चीज के लिए वह फैसला देता है, इस चीज को हम मान्य समझते हैं। उनके विचार में जिस वक्त रेन्ट का सवाल आता है तो उसको पूर्ण रूप से, अन्तिम रूप से निष्पक्ष नहीं मानते हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैसी उन्हें एक आशंका प्रतीत हुई और इस प्रकार की चीज सदन के सामने जाहिर की वह बिल्कुल गलत और निराधार है। मैं इसके बल्कुल खिलाफ हूं।

इस चीज का मैं विरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस विचार-धारा को लेकर इसमें फेर-फार करें। रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है उस पर विशेषरूप से गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् इसे पास करें।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट है वह किसी गलत फहमी पर बेस्ड है क्योंकि यदि गलत फहमी नहीं होती तो इसकी जरूरत नहीं थी।

श्री भैरूंसिंह—शायद गलत फहमी आपको हो गई है।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—यदि समझ से सुनें तो गलतफहमी समझ में आ जायगी।

अब तक हम लोग राजाशाही में रहते आये हैं, इस वजह से हमारा सोचने का ढंग भी उसी तरह का हो गया है। उस वक्त गवर्नमेंट भी जनतंत्र के आधार पर नहीं थी, मनमाने तरीके

[श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा]

से गवर्नमेंट बनती थी कहीं भाई-बेटे होते थे, कहीं जागीरदार होते थे, बेटायत होते थे और वे एक दूसरे पर असर डाल सकते थे, अब भी हम उसी तरह की मेन्टेलिटी से सोचते-समझते हैं और उसी तरह से समझने के कारण यह अमेंडमेंट पेश किया गया है और उसी मेंटेलिटी को रखते हुए सारे भाषण हुए हैं, वरना इसमें कोई तथ्य नहीं है। आज जनतंत्र के युग में रेस्पोन्सिबल गवर्नमेंट है और इस हाउस में जो भाषण देते हैं वे भी रेस्पोन्सिबल गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्सल हैं। उनको कोई ख्याल नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट किसी तरह से गड़बड़ करेगी और यदि गवर्नमेंट गड़बड़ करेगी तो आप कहां तशरीफ ले जायेंगे आप भी तो हाउस में ही रहेंगे। कुछ सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर जमीन की किस्म आदि देखकर फिक्सेशन ऑफ रेन्ट होता है। इसमें बहुतसी चीजों को कंसीडर करने की जरूरत होती है और उसी के आधार पर फिक्स किया जाता है। इस क्लॉज़ में जो प्रोविजन है वह साफ है। पहले फिक्सेशन के सिलसिले में सेटलमेंट डिपार्टमेंट वाले जांच करके रेवेन्यू बोर्ड में रिपोर्ट पेश करेंगे और रेवेन्यू बोर्ड जांच करके अपनी राय के साथ गवर्नमेंट के पास भेजेगा। फाइनल सेंक्शन के लिये आप रेवेन्यू बोर्ड को फाइनल ऑथॉरिटी मानते हुए यह कहते हैं कि इसका फिक्सेशन फाइनली रेवेन्यू बोर्ड तक ही रहना चाहिये और गवर्नमेंट तक कागजात नहीं जाने चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड की राय भी इन कागजातों में शामिल हो जाती है और जब उनकी राय शामिल हो जाती है तो यह मान लेना चाहिए कि बगैर जस्टिफिकेशन के वह उनकी राय नहीं होगी और अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो जरूर खिलाफ जाना चाहिए और यदि जस्टिफिकेशन है तो गवर्नमेन्ट भी रेस्पोन्सिबल गवर्नमेंट है और उसमें वे जिम्मेदार आदमी हैं जिनको गवर्नमेंट चलाने का काम हमने दिया है। हमारा उनमें विश्वास है तो ऊपर से कोई ऐसी चीज होनेवाली नहीं है जो किसी भी तरह खिलाफ पड़ती हो। इसलिए गवर्नमेंट के हाथ में इस चीज का रहना जरूरी है। वह इसलिए भी कि यदि रेवेन्यू बोर्ड इसके लिए फाइनल ऑथोरिटी रहती है तो वे एक सेट प्रिन्सिपल के आधार पर काम करेंगे। बहुतसी चीजें ऐसी होती हैं जो पोलिसी से सम्बन्ध रखती हैं, किसान को मौके पर रियायत देने का भी सवाल होता है। रेवेन्यू बोर्ड यह काम नहीं कर सकेगा। वह तो एक चाक्ड आउट लाइन है, उसी के अनुसार काम करेंगे। इसलिये यह अधिकार उस ऑथोरिटी के हाथ में रहना चाहिये। जिसको कम करने या बढ़ाने का अख्त्यार हो। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड के पास न रहकर गवर्नमेंट के पास फाइनल ऑथोरिटी रहनी चाहिये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना अमेन्डमेंट वापिस लेलें और यदि वापस नहीं लेते हैं तो इसको नामंजूर कर दिया जाय और क्लॉज़ जिस हालत में है उसी हालत में पास किया जाय।

श्री हरिदत्त—इस क्लॉज़ में जो शब्द आये हैं उनसे प्रतीत तो यह होता है कि गवर्नमेंट की यह मंशा है कि रेन्ट ऑफिसर जब कोई रेट फिक्स करे और उस पर ओब्जेक्शन हो तो उसके बाद फाइनल ऑथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड को रखा जाय। रेवेन्यू बोर्ड एक तरह की जुडिशियल ऑथोरिटी है, On the side of reveune matters and that is the final authority on revenue side.

[श्री हरिदत्त]

जब कि फाइनल ऑथोरिटी कोई फैसला देती है तो फिर गवर्नमेंट उसको मोडिफाइ करना चाहे, तो यह कैसे हो सकता है ? एक तरफ तो फाइनल ऑथोरिटी माने और दूसरी तरफ सबजेक्ट टू मोडिफिकेशन बाई गवर्नमेंट है; या तो बोर्ड को नहीं रखा जाय और एक स्पेशल बोर्ड क्रिएट किया जाय; जो एग्जीक्युटिव साइड का होगा और कंसीडर करने के बाद गवर्नमेंट के पास सेंक्शन के लिये भेज देगा। लेकिन जब जुडिशियल फॉर्म का रेवेन्यू बोर्ड डिसाइड करे तो उसका फाइनल डिसीजन होना चाहिये। इसमें शब्द दिये हैं :

"The State Government may sanction the proposals with or without modification-" यदि विदाउट मोडिफिकेशन सेंक्शन कर रहे हैं तो 'sanction' शब्द नहीं रहना चाहिये। यह ठीक है कि "according to the proposals made by the Revenue Board"; लेकिन जब मोडिफिकेशन करते हैं तो दूसरे शब्दों में any question of sanction arises then the Government return them to the Board for reconsideration; रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बोर्ड के पास रीकंसीडरेशन के लिये तो इसका मायना यह है कि यह तो मानते हैं कि वह फाइनल ऑथोरिटी है; उसके फैसले चेन्ज करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए वापिस भेजते हैं कि वे री रीकंसीडर करें। यदि वे मोडिफाइ करते हैं तो that proposal has to be returned to the Board for reconsideration. इन सब शब्दों को देखते हुए मोडिफिकेशन हो जाय तो उचित यह है कि बोर्ड फाइनल ऑथरिटी हो। ऑब्जेक्शन देने के बाद सुनवाई करेगा तो फाइनल ऑथोरिटी होगी और गवर्नमेंट अकोर्डिंग टू दी डिसीजन ऑफ दी बोर्ड ऑर्डर को केरी आउट करेगी। In my opinion this authority should lie with the Government. क्यों ऐसे मामले में गवर्नमेंट हेपहेज़ार्ड वे (hap hazard way) में कंसीडर करेगी। Under particular circumstances यदि गवर्नमेंट यह समझती है कि उन रेट्स में मोडिफिकेशन करना चाहिये बावजूद इसके कि फाइनल ऑथरिटी of the Revenue Board and after reconsideration, Board जो अपना decision दे Government must accept that decision. तो फिर रिटर्न नहीं किया जावे। This is my submission.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लाज़ में काफी राजनैतिक वाद-विवाद हुआ और इस बारे में काफी कहा गया कि गवर्नमेंट के पास यह पॉवर नहीं रहना चाहिये, इसलिए कि काफी व्यक्ति गवर्नमेंट के पास एप्रोच कर सकते हैं और कुछ व्यक्ति जैसे दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जैसे एप्रोच नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष जी, दांता रामगढ़ से आने वाले सदस्य तो दफ्तर तो क्या, घर पर भी एप्रोच कर सकते हैं, मिल सकते हैं और मिले भी हैं इसलिए उनके नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रह जाती है आर्ग्यूमेंट की बात। इसमें यह कहा गया है कि यह जुडिशियल का मामला है, रेवेन्यू बोर्ड पर छोड़ देना चाहिये। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान भर में किसी भी राज्य में ऐसा उदाहरण,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

नहीं मिलेगा जहां रेंट की रेट्स के बारे में फाइनल पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड के पास हों। सब जगह गवर्नमेंट के पास ही यह पॉवर होती है। यह एक प्रकार का टेक्सेशन है। जिसको आप जुडिशियल ओथरिटी समझते हैं उनको रेन्ट रेट्स फिक्स करने के अधिकार नहीं होते। इस दृष्टि से भी तो, गवर्नमेन्ट के पास इसका होना आवश्यक है। जहां तक रेवेन्यू बोर्ड का ताल्लुक है उनके पास रेन्ट रेंट रेट रिपोर्ट्स एग्ज़ीक्युटिव केपेसिटी में जाती हैं, वे उनको देख कर अपने सुझावों के साथ गवर्नमेंट के पास फाइनल डिसीजन के लिए भेजते हैं। अगर उनकी जुडिशियल केपेसिटी होती तो काश्तकारों को सुनने के लिए सेपरेट प्रिन्सीपल्स होते। रेंट रेट रिपोर्ट्स सेटलमेंट से उनके पास जाती है। वे उनको कंसीडर करके गवर्नमेंट के पास भेजते हैं और फिर गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करती है। उनको जूडिशियल केपेसिटी का बताना उचित नहीं होगा।

रेवेन्यू बोर्ड के डिसिजन्स के बारे में और आदेशों के बारे में जो तारीफ की गई उसकी मुझे खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर रहा है और न्यायपूर्ण फैसले देता है तो योग्य फैसले देता है, ठीक फैसले देता है, तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं उन माननीय सदस्य से और सदन से यह कहना चाहूंगा कि आज तक एक भी रिपोर्ट जो रेवेन्यु बोर्ड की ओर से राजस्थान गवर्नमेंट के पास आई है उनमें से किसी एक रिपोर्ट को भी गवर्नमेंट ने टर्न डाउन नहीं किया है। तो ऐसी सूरत में मेरे माननीय सदस्य ने गवर्नमेंट के एक्शन्स को जस्टीफाई ही किया है।

श्री जवानसिंह—यह तो नीति का विरोध है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक्शन्स की बातें कहीं गई थीं तो मैं एक्शन से जस्टीफाई करना चाहता हूं। मेरे माननीय सदस्य ने रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट को जस्टीफाइ किया है और गवर्नमेंट ने एक भी रिपोर्ट को टर्न डाउन नहीं किया है तो यह एक तरह से गवर्नमेंट के एक्शन्स को जस्टीफाई ही करता है।

श्री भैरोंसिंह(दांता रामगढ़)—सीकर डिस्ट्रिक्ट के खंडेला के बारे में जांच करें तो ठीक हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, मैं कहूंगा। कहा गया कि नीचे के अधिकारियों पर उनके पॉवर को डिसेन्ट्रलाइज़ करके देना चाहिये। सेटलमेंट की रेंट रेट्स के डिसाइड करने की बात है। जिन ऑफिसर्स पर विश्वास करने की बात माननीय सदस्य ने कही तो गवर्नमेंट ने हमेशा उन्हीं को मामले सुपुर्द किये हैं, गवर्नमेंट ने कभी आर्बिट्रेरी फैसले नहीं किये। हम स्वयं इस मामले में पूरी सतर्कता रख कर चलते हैं। माननीय सदस्य का कहना है और जैसा एक-दो सदस्यों ने कहा इस डेमोक्रेसी के जमाने में किसानों का अहित नहीं हो जाय। मुझे यह कहना है कि माननीय सदस्य

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भी ऐसा उदाहरण सदन के समक्ष पेश करें जिससे यह साबित हो कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बोर्ड केखिलाफ एक भी फैसला दिया हो, जो रेवेन्यू बोर्ड के खिलाफ हो उससे एक भी किसान का अहित हुआ हो तो किसानों के अहित की बात छोड़ ही देनी चाहिये। पर कोई दूसरे अहित की कल्पना हो तो उसको स्पष्ट कहना चाहिये। नही तो मैंने कहा है, उसके खिलाफ कहा जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि यह क्लॉज़ रखा गया है, इसमें जो प्रोसीजर ले डाउन है उसमें डिले होने की संभावना नहीं है! रेवेन्यू बोर्ड तक जाने की बात सभी सदस्य मानते हैं। रेवेन्यू बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच सेंक्शन होने में कोई अधिक समय नहीं लगता। अधिकतर १५ रोज से ज्यादा नहीं लगता होगा। तो गवर्नमेंट के पास यह अख्त्यार हो, इसका बड़ा उपयोग भी है और वह यह है कि गवर्नमेंट इस बात को देख सकती है कि फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या हैं? कोई बात ऐसी तो नहीं हुई कि जिससे लोगों में बड़े पैमाने पर असंतोष हो। सारे हिन्दुस्तान में यही तरीका रखा है, जहां डेमोक्रेसी पहले से चल रही थी और अब भी चल रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस गवर्नमेंट में किसी को विश्वास नहीं रहा। यह दलील तो बहुत पुरानी हो गई है। दिनों दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस में अपना विश्वास बढ़ाते जा रहे हैं। यह सब सदस्यों को और हिन्दुस्तान को मालूम है और वख्त वख्त पर जनता के सामने उदाहरण आये उनसे इस बात का पता चल गया कि कितना विश्वास है। तो विश्वास अविश्वास कहने वाले सदस्य न कहा करें, तो अच्छा होगा।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—यह तो उनकी पुरानी आदत है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यह भी सही है, पर मैं नहीं कहना चाहता।

यह भी कहा गया कि इससे बहुत से आदमी कमा कर मालदार हो गये। मेरे पास आने वाले ज्यादातर गरीब आदमी हैं जो शिकायत लेकर आते हैं, मैंने तो किसी को उनमें मालदार नहीं देखा इस तरह के आक्षेप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। मिनिस्टरों तक नहीं जा पायें, यह जो कहा गया तो जिनके बारे में एतराज है वह हर हालत में जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो उनके नहीं आने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता।

सदन में इस प्रकार की चर्चा होने का कई दिनों से अवसर नही आया था तो वह चर्चा हो चुकी है। अब जो मूल धारा है उसे ही, श्रीदासजी गोयल के अमेंडमेंट के साथ स्वीकार कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर के अन्दर कोई नई बात हो उसी का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाय।

श्री भैरोंसिंह—नई बात के बारे में ही कहूंगा। मेरें संशोधन के उत्तर में माननीय रेन्वेयू मंत्री ने जो जवाब दिया वह एक ही बात पर आधारित था और वह बात यह है कि आज आज तक राजस्थान में इस बात का उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि जिसमें रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के मोडिफिकेशन करके काश्तकार का अहित किया हो, बल्कि हित किया है। यदि यह आधार असत्य भी न माना जाकर आज इस वक्त के लिये सही भी मान लिया जाय तो मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल इससे भिन्न है। वह यह है कि राजस्थान में आज तक जितनी कार्यवाही होती थी वह इस बात के लिये की जाती थी कि काश्तकारों से जागीरदार लगान वसूल करते हैं, उन जागीरदारों को नुक्सान पहुंचाकर किसानों को राहत पहुंचानी है, इस आधार पर पहुंच कर सरकार कोई भी काम करती थी कि काश्तककारों को राहत मिले और जागीरदारों को नुकसान पहुंचे पर अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब न कोई जागीरदार है और जो जमंदार हैं वे अब जल्द समाप्त होने वाले हैं, बल्कि धीरे धीरे हमें इस कानून के आधार पर यहां तक पहुंचना है कि जो जमीन जोतता है उसी की जमीन हो। अब काश्तकारों का सीधा सम्बन्ध जागीरदारों से न होकर सरकार से है। जागीरदारों का बाना अब सरकार ने पहन लिया है और जागीरदारों को शामिल करके सिद्धान्त के रूप में जनता के सामने उदाहरण पेश कर दिया है कि जागीरदारों को अपने में मिलाकर उनका प्रतिनिधित्व करेगी और आज सरकार जागीरदारों का प्रतिनिधित्व करती है तो उस सरकार से अब इस प्रकार की आशा करना कि जिस दृष्टिकोण से पहले सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाई, उसी तरह राहत पहुंचायेगी यह बात अब नहीं है। अब किसानों का किसी प्रकार का अहित नहीं होगा, यह कहना ठीक नहीं है। यदि इस दृष्टिकोण को सामने रख कर सोचें कि आज जागीरदारों का स्वरूप सरकार है और काश्तकारों का सीधा संबंध आज सरकार से है अतः सरकार को रेन्ट में कमी करने में किसी मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। मुझे चाहे आप हकीम लुकमान की दवाई दिलावें, चाहे किसी दूसरे की, मगर मुझे तो यह दिखलाई देता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वह सत्य है और जिसको आप वहम कह रहे हैं वह कार्यरूप में होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार व कांग्रेस के नेता जो आज तक काश्तकारों को राहत पहुंचाने वाले थे, अब नई बदलती हुई परिस्थिति में उनकी नीति काश्तकारों को अहित पहुंचाने वाली होगी। अब सवाल यह आता है कि सरकार यह कहती है कि जितने रिप्रेजेन्टेशन्स हुए हैं, हमने उन सब को रेवेन्यू बोर्ड को रेफर किए हैं और उसकी राय आने के बाद में गवर्नमेंट ने अपना फाइनल डिसिज़न दिया है। यही मुझे शक था और इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज़ नहीं रहते। जब रेवेयू बोर्ड को यह रेफरेन्स किया जावे कि इन इन चीजों में यह कमी रही है तो रेवेन्यू बोर्ड भी उनकी तरफ ही 'हां' कहेगा। अगर रेंट को बढ़ाना है तो रेवेन्यु बोर्ड भी सरकार के साथ होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जुडिशियरी में हाईकोर्ट को सबसे ऊंचा माना है उसी प्रकार रेवेन्यू साइड में रेवेन्यू बोर्ड को सबसे ऊंची ऑथोरिटी मानना चाहिये और हम उसको

[श्री भैरोंसिंह]

मानते हैं। रेवेन्यु बोर्ड में दोनों पक्षों को सुनने के बाद में फैसला दिया जाता है। जब दोनों पार्टीज को सुन लिया जाता है तो किसी को कोई यह कहने की गुंजाइश नहीं रहती कि उनके साथ गैर इन्साफ हुआ। जो संस्था आज तक पवित्र रही है और है उसको पवित्र बनाये रखने में हम जितना 'डाइरेक्ट' कर सकें करना चाहिये। मैं मानता हूं कि कई सदस्यों ने जिस तरह बताया कि कई लोगों को सेक्रेटेरियेट में जाने नहीं दिया जाता। मैं यह चाहता हूं कि किसी को भी जो इस प्रकार का धन्धा करते हों, नहीं जाने दिया जाए तो बहुत उत्तम है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग जाते हैं जैसा कि उनकी मंशा से स्पष्ट है. कि कुछ लोगों को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि आज सरकार कुछ ऐसे तत्वों की बात सुनने के लिये तैयार है जो तत्व झूठ-मूठ काश्तकारों के प्रतिनिधि बन कर काश्तकारों को सेक्रेटेरियेट में ले जाते हैं और आप अन्दर जाकर अपने मतलब की बातें अधिकारियों से करते हैं। उन लोगों को बाहर खडे रख देते हैं और वे अन्दर से बाहर आकर उन्हें कह देते हैं कि आपके रेन्ट रेट के बारे में बात-चीत की है। अगर मुझे कहने का मौका दिया जाये तो मैं यह कहूंगा कि सीकर और दूसरी कई जगहों के ज्यादातर आदमियों ने अपना इस प्रकार का पेशा बना लिया है, माननीय मंत्रीजी को भी इसका पूरा पता और ज्ञान है। माननीय राजस्व मंत्री भी इस बात से परिचित होंगे कि उन लोगों की रोक-थाम नहीं होती। वे भोले-भाले काश्तकारों से चन्दे के नाम पर रूपया ले लेते है और एक बार नहीं अनेक बार चन्दे के नाम से उन लोगों को ठगते हैं। चन्दा काश्तकारों के हित के लिये इकट्ठा किया जाता है। नागौर से आने वालों को मालूम होगा कि वे किसानों के कार्य के लिये पैसा वसूल करते होंगे....(घन्टी)

लेकिन यह सारा का सारा चन्दा किसानों के हित के कार्य के लिये इकट्ठा किया जाता है जो हजारों रूपयों की तदाद में होता है और इस चन्दे के जरिये बहुत से लोगों का खर्च पूरा होता है और कुछ लोगों की इसी से उदरपूर्ति होती है। कई मेरे साथियों ने तो इस प्रकार इस चन्दे को अपनी उदर पूर्ति का साधन बना रखा है। इसको रोकने का एक ही मार्ग हो सकता है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट में जाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

रेन्ट रेट के बारे में एक सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया कि यदि हमको रेवेन्यू बोर्ड को इसके शामिल रखना है तो रेवेन्यू बोर्ड का फैसला फाइनल होना चाहिये। आज मैं इस चीज को कहूंगा, चाहे माननीय सदस्य इसको मानने से इन्कार करें या मंजूर करें। यदि कोई रेवेन्यु बोर्ड में अन्याय संगत तरीकों से जाना चाहे तो नहीं जा सकता और अन्याय नहीं करा सकता, मगर जो लोग रेवेन्यु बोर्ड में अपना मतलब सीधा नहीं कर सकते उनके लिये गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट खुला है, जैसा वे वहां चाहते हैं रेफरेन्स के नाम पर, रेफरेन्स इश्यू कर देते हैं और मैं निवेदन करूंगा कि आज रेवेन्यु बोर्ड और सेक्रेटेरिएट की वास्तविकता को जांचा जावे तो आपको मालूम होगा कि जिस चीज को मेरे माननीय मित्र मुझे वहम कहते हैं वह वहम नहीं है वह वास्तविकता है, जो उनके सामने नजर

[श्री भैरूंसिंह]

आएगी और इसके लिये लुकमान हकीम का आप भी आ जावे तो उससे ठीक नहीं होगी। अगर इन चीजों को यह कह कर इनकार किया जावे कि वहम है, गलतफहमी है और जो दलीलें दी हैं वे शक की हैं, तो यह ठीक नहीं। जब कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि गलत कहा जाता है, वहम है। लेकिन मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि हमेशा यह चीज हमारे सामने कार्य रूप में आती है और हम उसको देखते हैं। उसके बाद भी यह कहा जाता है कि इससे काश्तकारों का अहित नहीं होने वाला है। हम कहते हैं कि काश्तकारों की दशा सुधरे। मैं यह कहूंगा कि किस तरह से सुधार होनेवाला है। सरकार की नीति से यह स्पष्ट है कि काश्तकार पर उसकी जितनी आमदनी है उस पर टैक्स है और वह टैक्सों के बोझ से इतना दब गया है कि उसका सुधार होना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर टैक्स नहीं। अब उसका एक मात्र शोषण करना बाकी रह गया है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार करें।

एक सदस्य ने बताया कि कुछ गलतफहमी होगई है। गलतफहमी का आधार यह बताया कि रैंट रेट ऑफिसर किस आधार पर अपनी रिपोर्ट भेजेगा? आखिर कोई लैण्ड रेवेन्यु मेन्युअल बनावेगा, सेटलमेंट कानून बनेगा, उसकी रूप रेखा तैयार करेंगे कि किस तरह से रेन्ट रेट ऑफिसर रेन्ट कायम करेगा और इस आधार पर रेवेन्यू बोर्ड भी गवर्नमेंट को अपनी फाइनल राय देगा। जो रूल्स बनेंगे वे सारी चीजों के द्योतक होंगे कि किस प्रकार से रेन्ट रेट डिटर्मिन होगी। रेवेन्यू बोर्ड को उसमें तरमीम करना होगा, तो करेगा। लेकिन यह प्रश्न तो पहले ही प्रस्तुत हो जाता है और हल हो जाता है, इसके बाद में कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है कि रेन्ट रेट ऑफिसर के सामने कोई रूप-रेखा नहीं होगी, किस आधार पर वह रेंट मुकर्रर करेगा। मैं यह कहूंगा कि जो कुछ गलतफहमी हो गई है वह उनको हुई है, मुझे नहीं हुई है। लेकिन इसके सब क्लॉज़ (४) में दिया हुआ है:

"The State Government may sanction the proposals with or without modification or may returm them to the Board for reconsideration.

On receipt of the proposals and records submitted by the Rent Rate Officer under sub-section (2), the Board may approve or vary such proposals after such enquiry as it may deem fit" इसमें ऊपर के क्लॉज़ में दिया हुआ है;

तो रेवेन्यू बोर्ड में हमने ओब्लीगेटरी रखा है कि वह इन्क्वायरी कर ले। मगर सरकार बिना इन्क्वायरी के भेज सकती है और सरकार चाहे तो सुनने का मौका पार्टी को दे सकती है और चाहे तो मौका भी पार्टी को नहीं दे। इस प्रकार हमने रेवेन्यू बोर्ड पर पाबन्दी रखी है। रेवेन्यू बोर्ड के लिये ओब्लीगेटरी है कि "after holding such enquiry as it may deem fit." इन सारी चीज़ों की इन्क्वायरी करने के बाद वह फैसला दे सकता है। यह चीज भी सारी सरकार के पास होनी चाहिये। अब सरकार का सीधा सम्पर्क काश्तकारों से रेन्ट सरकार वसूल करती है, अब जागीरदार

[श्री भैरूंसिंह]

नहीं करते। रेवेन्यू बोर्ड में किसी व्यक्ति की पहुँच नहीं होने से निष्पक्ष फैसला होगा। मगर जब रेवेन्यू बोर्ड को आखिरी स्टेज नहीं मानते तो सरकार जो कुछ करेगी तो फिर काश्तकार किसी के पास जाकर रोने वाला नहीं। सरकार चाहे तो इन्क्वायरी करे और चाहे तो नहीं। इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की खुली छूट सरकार को नहीं दी जानी चाहिये। आज की बदली हुई परिस्थिति में काश्तकार का जब सीधा सम्बन्ध सरकार से है तो ऐसी हालत में सरकार को इस प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिये। आज हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपना काम सेक्रेटेरिएट में जाकर करा लेते हैं। मैं यह कहूंगा कि एक सा जमाना नहीं रहता, परिस्थितियें हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को ऐसा अधिकार नहीं रहे और रेवेन्यू बोर्ड इस मामले में फाइनल ऑथोरेटी होनी चाहिये। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष, इन्हीं शब्दों के साथ इसको सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ७५ पर श्री श्रीदास गोयल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ७५ पर श्री भैंरूसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७५ संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ७५ ए

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७५ ए विधेयक का अंग बने ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री हिम्मतसिंह—'ना' पक्ष जीता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—'हां' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष—'हां' पक्ष जीता । क्लॉज़ ७५ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

क्लॉज़ ७६

श्री श्यामलाल गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, इसके मुतल्लिक मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ।

क्लॉज़ ७६ इस तरह है,

"When a tenant is ejected from a part only of his holding under an order or decree of a court, or legally surrenders such part, either he or the landholder other than the State Government may at any time apply to the court, in which the suit for ejectment would lie for the determination of the rent of the remainder."

इस क्लॉज़ को देखने से यह मालूम होता है कि इसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि यह जो एप्लीकेशन या सूट होगा वह उस कोर्ट में होगा जिसमें 'suit for ejectment would lie,' लेकिन उसके साथ २ शिड्यूल को देखें तो मालूम होगा कि वह कोर्ट जिसमें ऐसे सूट हियर किये जावेंगे, वह होगी तहसीलदार की कोर्ट । साथ ही साथ नम्बर ७३, ७५, ७६ ये सीरीयल नम्बर, जो कि क्लॉज़ेज़ १३० बी, १३१ के सब क्लॉजेज़ (२) और (३) और १३२ बी से सम्बन्धित हैं, इजेक्टमेन्ट के सिलसिले में डील करते हैं। उनको देखने से विदित होगा कि उनमें इजेक्टमेन्ट के लिए हियरिंग ऑथोरिटी है असिस्टेन्ट कलेक्टर ऐसी सूरत में यहां कॉन्ट्राडिक्शन होता है। मैं यह समझता हूं कि प्रोपर ऑथोरिटी ऐसे केसेज़ में काश्तकारों की दिक्कतों को देखते हुए तहसीलदार ही ठीक है और ऐसा ही शिड्यूल में प्रोवाइड किया हुआ है। असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए इस तरह से कर दिया जाय तो ठीक रहेगा कि :

[श्री श्यामलाल गोयल]

"When a tenant is ejected from apart only of his holding under an order or decree of a court, or legally surrenders such part, either he or the landholder other than the State Government may at any time apply to the court, for the determination of the rent of the remainder."

इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से ये शब्द हटा दिये जायेंगे "In which the suit for ejectment would lie" तहसीलदार की कोर्ट से डिसिजन हो जावेगा। कॉन्ट्राडिक्शन है वह भी हट जावेगा। मेरा यह सुझाव है। अगर यह मंजूर हो जावेगा तो ठीक रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह जिस रोज शिड्यूल के अन्दर सारी चीजों को देखेंगे उस वक्त ठीक किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ७६ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज ७६ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७७, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस क्लॉज़ में यह है, "Substitute the words 'an' for the words 'a summary' occurring in the third line of sub-clauss (2)."

क्लॉज ७७ के सब क्लॉज़ (२) में तहसीलदार को ये अधिकार दिये गये हैं कि वह ऐसी कोई दरख्वास्त आने पर समेरी इन्क्वायरी करे और फिर निर्णय दे। मैंने 'समेरी' शब्द को हटाकर इन्क्वयरी ही रखा है क्योंकि बहुत से हमारे जो ऑर्डिनेन्सेज़ हैं और जो लागू है उन सब में समेरी का कोई निश्चित आधार नहीं है और न कोई निश्चित तारीख ही है, जिससे हम कह सकें कि समेरी इन्क्वायरी होना मुनासिब है। मैंने इस सिलसिले में कुछ इधर उधर की चीजें देखीं तो मुझे मालूम हुआ कि समेरी को ध्यान में रखें तो उसमें ऐसा है कि मजिस्ट्रेट्स के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एवीडेन्स को रेकर्ड करे। एक्यूज्ड के एग्ज़ामिनेशन को भी रेकर्ड करने की जरूरत नहीं। यदि समेरी ट्रायल पर इन्क्वायरी को माने तो उसका मतलब यह निकलता है कि ग्राम पंचायतें जो बनी हैं, वहां की एवीडेन्स को रेकर्ड नहीं किया जाता और एक्यूज्ड के बयान नहीं लिये जाते और इधर उधर से बातें संग्रहित करके अपना फैसला देकर और उसका नाम समेरी

[श्री तनसिंह]

इन्क्वायरी रख कर तहसीलदार के पास भेज देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अनुचित तरीका है, या तो हमें समेरी शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा और यदि डिफाइन नहीं करते हैं तो हर तहसीलदार के पास में समेरी इन्क्वायरी के अलग अलग तरीके हैं और हर तहसीलदार अपने अपने ढंग से उनको डिफाइन करेगा और कार्यवाही करेगा। जब उस विषय में अपील होगी तो अपील कोर्ट के पास भी अलग अलग ढंग से डिफाइन होगा जिससे समेरी के चक्कर में पड़कर जटिल हो जायगा। यदि यह कहा जाय कि तहसीलदार बिना बयान को रेकर्ड में लाये या बिना पार्टीज़ के बयान को रेकर्ड में लाये केवल सुनकर ही फैसला दे दे तो टिनेन्सी एक्ट के पास करते समय ऐसे प्रोविजन्स नहीं बनने चाहिए क्योंकि यह कोई इमरजेन्सी लेजिस्लेशन नहीं कहा जा सकता। हम एक बहुत बड़ा एक्ट बना रहे हैं। इसमें केवल हम सफिशिमेंट रिलीफ नहीं दे रहे हैं। इस समय हम ऐसे एक्ट का निर्माण कर रहे हैं जो काश्तकरों के हकों को ठीक प्रकार से डिफाइन करता है...

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपका अमेंडमेंट नंबर कौनसा है ?

श्री तनसिंह—नं० १७२ है।

मेरा अमेंडमेंट है "summary" शब्द को हटाकर " an enquiry" रखा जाय। इस प्रकार मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि माई अमेन्डमेन्ट....

श्री जवानसिंह—Unfortunately this gentleman...

श्री तनसिंह—इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस "समेरी" शब्द को हटा देने से जो "an enquiry" रखा जायगा उससे यह निश्चित तौर पर मालूम हो जायगा कि इन्क्वायरी करना यह होता है कि गवाहों के बयानों को रेकर्ड किया जाय और उन्हीं के आधार पर फैसला दिया जाय और वह वैधानिक ढंग से फैसला दिया जाय। यह मेरे संशोधन की मन्शा है। मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जवानसिंह— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है मेरे ख्याल से सदन इसे अवश्य मन्जूर करेगा क्योंकि यह इतना सीधा और सरल संशोधन है कि इसके विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्थिति को सामने रख कर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हमने इस पूरे बिल में कहीं भी समेरी इन्क्वायरी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। केवल इसी धारा के तहत इसको शामिल किया है। यह भी साफ नहीं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने निवेदन किया; " समेरी इन्क्वायरी " किस प्रकार होगी। हम दूसरे कानूनों से इसमें सहायता ले सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें इस समेरी इन्क्वायरी का अर्थ समझना पड़ेगा। लेकिन उन तहसीलदारों को, जिनको इसे समझने की जरूरत है जिनको इस प्रकार के मामलों को निपटाना

[श्री जवानसिंह]

पड़ेगा। जबतक उनके सामने उचित प्रोसीजर नहीं रखेंगे तब तक काफी उलझनें पैदा हो सकती हैं। एक डिवीजन दूसरे के खिलाफ हो सकता है। क्योंकि ठीक तरह से अपने फैसले को नहीं लिखा तो इससे असन्तोष फैल सकता है। इसलिये बेहतर तो यह होगा कि केवल इन्क्वायरी शब्द रखा जाय, ताकि हर चीज का निपटारा करने से पहले तहसीलदार के सामने निश्चित चीज रहेगी। दोनों तरफ के गवाहों की साक्षी लेनी हो तो वह भी रेकर्ड कर सकेगा। इस तरह से तमाम प्रोसिडिंग के लिये प्रोसीजर निश्चित रहेगा। इसलिये इस समेरी शब्द की जगह 'इन्क्वायरी' शब्द को सबस्टीच्यूट कर दे तो इसका आशय स्पष्ट हो जायगा। इसीलिये मेरा निवेदन यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है और न इसके मानने से उलझनें ही बढ़ने वाली हैं। इससे तो ऐसी उलझनें कम होंगी। इसको मानकर हम सरलता की तरफ कदम उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सदन इसको अवश्य मन्जूर करेगा।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**— माननीय उपाध्यक्षजी, अगर इन लब्ज़ों को, जैसा कि सुझाव दिया गया है, 'समेरी' शब्द को हटा दिया जाय तो शायद इस सेक्शन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कोई भी शख्स आमतौर से दावा लेकर रेमेडी ले सकता है। यह तो समेरी रेमेडी दी गई है। यह कोई फाइनल नहीं। इससे भी अगर कोई नाराज है तो वह दावा करके रेमेडी ले सकता है, अपना दावा एस्टेब्लिश कर सकता है। समेरी इन्क्वायरी करने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी जो यह कहा गया कि 'समेरी' शब्द का कहीं इस बिल में प्रयोग नहीं हुआ, तो मैंने सारे बिल को तो नहीं देखा है फिर भी जो क्लॉज़ मेरे ध्यान में आया है जिसकी संख्या १३५ है उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर माननीय सदस्य इसको पढ़ने का कष्ट ही नहीं करेंगे तो उनको कहां से ये शब्द मिल सकते हैं?

श्री **जवानसिंह**— उसमें भी हमारा संशोधन है।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**— हो सकता है कि आपके संशोधन सारे ही बिल में हों। बिल अंग्रेजी में है इसको आप देख लें तो जो आशंकायें आपकी हैं कि समेरी इन्क्वायरी का क्या मतलब होगा; बयान लेंगे या नहीं, तहरीरी सबूत लिये जायेंगे या नहीं, इसमें यह लब्ज लिखे हुए हैं:

"a summary enquiry in the proscribed manner"

इस तरह से यह बताया जायगा कि समेरी इन्क्वायरी किस प्रकार होगी, इसके लिये रूल्स बनेंगे। आपका जो ख्याल है तहसीलदार वगैरह किसी प्रकार की गवाही लिये इस कानून के तहत आर्बिट्रेशन दे देगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। प्रेसक्राइब्ड मेनर का मतलब ही यह है कि 'समेरी' शब्द हटाने का मतलब पूरा हो जाय। "प्रेसक्राइब्ड मेनर" शब्द की ओर शायद माननीय सदस्य का ध्यान नहीं गया, इसलिये समेरी हटाना चाहते हैं। इसी लिये समेरी

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

इन्क्वायरी की फुल फ्लेज्ड इन्क्वायरी में तब्दील कराना चाहते हैं। वे इसकी असलियत को समझने की कोशिश करें।

श्री जवानसिंह—वह आपके समझ में आने वाली बात नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी माननीय सदस्य ने रखा है, मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता नहीं है। जो खतरा माननीय सदस्य ने बतलाया उस पर सोचने की गुंजाइश इसलिये नहीं रहती कि इस क्लॉज़ के सब क्लॉज [२] के बाद सब क्लॉज़ [३] आता है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को समेरी इन्क्वायरी में एतराज हो तो उसमें प्रोविजन किया हुआ है। उसमें यह कहा गया है :

'Any person feeling himself aggrieved by an award given under sub-section (2) may bring a suit for its modification or for setting it aside on any ground whatsoever."

तो वे कहते हैं कि समेरी इन्क्वायरी के बाद और कोई गुंजाइश नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है। समेरी इन्क्वायरी का फैसला हो जाने के बाद भी अगर कोई एतराज हो तो उसके लिये दरवाजा खुला है। वह दरवाजा बन्द नहीं होता। समेरी इन्क्वायरी जो शब्द रखे हैं वह उसको एक्सपीडाइट करने के लिये रखा है, वह वैसा ही रहना चाहिये। इससे कोई असर नहीं पड़ता है, इसके बाद भी गुंजाइश रहती है, इसका ख्याल रहना उचित होगा।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है वह कोई सन्तोषजनक नहीं है; इसलिये नहीं कि जब आप एक ओर यह दलील देते हैं कि इसके आगे ये शब्द लिखे हुए हैं 'प्रेसक्राइब्ड मेनर' और 'समेरी' शब्द को हटाने की जरूरत नहीं; यह जो दलील है इससे 'समेरी' शब्द को हटाने या रखने से कोई मतलब नहीं रहता। जब आपने यह अधिकार इस प्रकार के रखे हैं जिसमें 'समेरी' प्रेसक्राइब कर रहे हैं, इनक्वायरी प्रेसक्राइब कर रहे हैं तो समेरी को रखने या न रखने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं है।

दूसरा आर्ग्युमेन्ट यह दिया गया है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति असन्तुष्ट हो तो उसके लिये हिदायत है कि वह क्लॉज़ तीन के मातहत स्यूट कर सकता है और यह भी आर्ग्युमेन्ट बिल्कुल उचित नहीं जान पड़ता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्यूट नहीं करता है, दावा ही करेगा तो समेरी इन्क्वायरी रखने से क्या मतलब ? इसको रखने का क्या तात्पर्य है ? केवल मात्र इन्क्वायरी ही रख सकते हैं। अगर कोई आदमी असन्तुष्ट है तो वह दावा कर सकता है, फिर असन्तुष्ट होने या सन्तुष्ट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। ठीक ढंग से इन्क्वायरी होगी तो असन्तोष किसी को होगा या नहीं। इसलिये पहले अगर पूरी इन्क्वायरी होती है, शहादतों के गवाहों के बयानात रेकर्ड होते हैं

[श्री तनसिंह]

तो उसका सारे का असर उस दावे पर बनता है। इससे दावा करने वाले जो होंगे वे सोच-समझ कर करेंगे। मैंने जो शहादतें पेश की है उन शहादतों का असर अवश्य पड़ता है, इसलिए दावा करना चाहिये या नहीं, इसके लिए वह सोचेगा। समेरी इन्क्वायरी के बिना पर गवाहों के बयान, पार्टी के बयान लिये बिना फैसला दे दिया जायगा तो हर व्यक्ति के लिए रास्ता खुला हुआ है कि ऐसी इन्क्वायरी के विरूद्ध दावा कर दे।

जब हरेक व्यक्ति इस प्रकार दावा कर सकता है तो इस इन्क्वारी के रखने से या न रखने से कोई मतलब नहीं।

दूसरी बात यह है कि समेरी इन्क्वारी इसलिये रखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति क्वालिफाइड होता है उसी को समेरी ट्रायल के अख्तियारात दिये जाते हैं, हरेक मजिस्ट्रेट को नहीं दिये जाते। बल्कि या तो गवर्नमेंट किसी विशेष आज्ञा से उन्हें इस प्रकार के अधिकार देती है, या जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसको देती है। इस प्रकार क्वालिफाइड मजिस्ट्रेट के पास समेरी ट्रायल के अधिकार होते हैं। तो यहां हम समेरी ट्रायल के अधिकार ऐसे अधिकारी को दे रहे हैं जो रेवेन्यु विभाग में एक अदना से अदना अधिकारी है।

इतना सब होते हुए भी और यह मानते हुए भी कि यह उत्तर इस दृष्टि से असन्तोष जनक है, पर मन्त्री महोदय यह बतला रहे हैं कि आगे जो क्लॉजेज़ हैं, जो प्रेसक्राइब करने जा रहे हैं, उनमें इस प्रकार का विस्तार आ जावेगा। इस आश्वासन पर मैं सदन से संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने पेश किया है उनको वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७७ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७७ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७८, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Substitute the words 'Assistant Collector' for the words 'Sub-Divisional Officer' occurring in sub clause (3) of the clause."

यह बहुत सीधा और सरल संशोधन है और मुझे आशा है कि इसे स्वीकार करने में माननीय मन्त्री महोदय आनाकानी नहीं करेंगे क्योंकि यह सही अमेंडमेंट है। सिलेक्ट कमेटी ने·········

श्री मोहनलाल सुखाडिया—भाषण क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे यह बिल्कुल स्वीकार है।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि इस क्लॉज़ से सम्बन्धित एक क्लॉज़ हमने पहले छोड रक्खा है पेन्डिग में। इसलिये इसे पास करने से पहले वह क्लॉज़ ले लिया जावे तो अच्छा है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह कौन सा क्लॉज़ है ?

श्री श्री दास गोयल—कोई नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—तो क्या फिर हमारा इम्तिहान लेने को ऐसा कह रहे हैं ?

श्री जवानसिंह—मेरा यह ख्याल है कि नीम के थाने से आने वाले सदस्य ने जिस वक्त यह क्लॉज़ विचारार्थ पेश था, तो यह एतराज किया था कि क्लॉज़ ७८ में ऐसा प्रोविज़न रखा गया है इसलिए इस क्लॉज़ के साथ में उसे रख दिया जावे। यही मैं कह सकता हूं और कोई निश्चित संकेत संख्या का देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह तो ६६ ए है साहब संख्या। पर इससे ऐसा वह संबंधित नहीं है कि इसे पोस्टपोन करने की नौबत आवे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १६५४ (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली)

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव पास हो चुका है । उस सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की नामावली प्रकाशित करनी बाकी थी । जो नाम तजवीज़ किये जा रहे हैं वे इस प्रकार है :

१. श्री लालसिंह शक्तावत ।
२. श्री मोहनलाल सुखाड़िया ।
३. श्री कपिलदेव अग्रवाल ।
४. श्री मथुरादास माथुर ।
५. श्री दामोदर व्यास ।
६. सरदार श्री हरलालसिंह ।
७. श्री बद्रीप्रसाद, अलवर ।
८. श्री सम्पतराम, अलवर ।
६. श्री सोहनलाल भटनागर ।
१०. श्री हरिदेव जोशी ।
११. श्री रामनिवास मिर्धा ।
१२. श्री हजारीलाल शर्मा ।
१३. श्री भैंरोंसिंह खेजड़ला ।
१४. श्री रामदयाल उपाध्याय ।
१५. श्री ब्रजसुन्दर शर्मा ।
१६. श्री हरिकृष्ण व्यास ।
१७. श्री जुझारसिंह ।
१८. श्री मोतीराम, गंगानगर ।
१६. श्री श्यामलाल गोयल ।
२०. श्री द्वारकादास पुरोहित ।
२१. श्री गोपीलाल यादव ।
२२. श्री अवनिकुमार मुकर्जी ।
२३. श्री कुम्भाराम आर्य ।
२४. श्री एडवोकेट जनरल ।

क्या सदन की अनुमति है ? क्या नामों को एप्रूव करता है सदन ?

श्री जवानसिंह—मेरा खयाल है कि इसमें कुछ नाम रह गये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—श्री रूपनारायण जी का ।

श्री जवानसिंह—जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इनका ही रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री रूपनारायण का नाम भी उस सूची में सम्मिलित समझा जावे। इस तरह से कुल एडवोकेट जनरल को मिलाकर २५ मेम्बर हैं।

(स्वीकृत)

नामावली स्वीकार की गई।

अशासकीय सदस्य कार्य की तिथि का निश्चयन

श्री उपाध्यक्ष—एक प्रश्न यह है कि प्राइवेट मेम्बर्स के बिल्स और रिज़ोल्युशन्स के लिए तारीख है १४ और १५ मुकर्रर की हुई।

इसके बारे में मन्त्री महोदयों को कुछ दिक्कत है। वे चाहते हैं कि उनमें से कोई दिन, बजाय १४ के १३ रख दिया जावे। अगर सदन की अनुमति है तो इन दोनों दिनों में से एक दिन १३ रख कर १४ ऑफिसियल डे रख लेंगे, या १३ और १४ दोनों नोन ऑफीसियल रहें ? इस तरह १३ और १४ दोनों नोन ऑफिशियल डे रहेंगे और १४ का तो वही प्रोग्राम रहेगा और १५ का प्रोग्राम १३ को ले लिया जावेगा।

(सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई)

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३ (पूर्व क्रम से)

क्लॉज़ ७९

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८०, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

Page No.66

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ८० पर मेरा यह अमेंडमेंट है कि जो—"Subject to the other provisions of this Act, the rent of a tenant........." और जो सिलेक्ट कमेटी से :—"including a tenant of Khudkasht and a sub-tenant" इसको ओमिट किया गया था उनको ओमिट नहीं करके ओरिजिनल बिल के मुताबिक बदस्तूर कायम रहना चाहिये। यही मेरा अमेंडमेंट है ताकि क्लॉज़ ८० की मन्शा बहुत साफ हो जाय और किसी तरह का मुगालता नहीं रहे। वह इस तरह से पढ़ा जाना चाहिये।

"Subject to the other provisions of this Act, the rent of a tenant including a tenant of Khudkasht and a sub-tenant may be enhanced or abated only—

(a) by a registered agreement, or

(b) by a decree or order of a competent revenue court etc."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदास गोयल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८०,संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८० संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८१, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह।

Page No.67

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एमेंडमेंट नं० १७४ है, वह इस प्रकार है;

"Substitute the words, letters and figures 'Sections 67A, 67B or 67C' for the words, letters and figures 'Sections 67 or 67A,' occurring is the end of the proviso to the clause." इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टिनेन्सी बिल जब ओरिजिनली सिलेक्ट कमेटी के पास आया था उस समय यह ६७ और ६७ ए उसके प्रोवीजन के अन्दर लिखी हुई थीं, लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो ६७ में था वह हटाकर ६७बी, सी और ए के अन्दर लगा दिया। इसलिए वह मेग्जिमम रेन्ट का जो सवाल है वह ६७ से ताल्लुक नहीं रखकर ६७ ए, बी और सी से रखता है। इसलिए इस प्रोवीजो में ६७ और ६७ ए की जगह ६७ ए, बी और सी सेक्शन लगा देने से इस प्रोविजो का सही मतलब हो जाता है। यह एक टेक्निकल अमेंडमेंट है जिसको स्वीकार करने में मेरे खयाल से कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ ८१ के प्रोविजो में मेरा यह एमेंडमेंट है कि "sections 67 or 67 A" को हटाकर इनके स्थान पर "the chapter" तहरीर फरमाया जाय। तो चूंकि यह तमाम चैप्टर से संबंधित क्लॉज़ है और ६७ और ६७ ए से मकसद पूरा नहीं होता है इसलिए चेप्टर होने पर इसका पूरा मतलब निकलता है। इस दृष्टि से मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के एमेंडमेंट में बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य के अमेंडमेंट का समावेश हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों ऐमेंडमेंट को डील करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मैं सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का एमेंडमेंट स्वीकार करता हूं।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो एमेंडमेंट अभी रखा गया है वह मैं समझता हूं कि इस मन्शा से सेक्शन ६७ ए, बी और सी को रखते हुए, सेक्शन ८० को देखिये आप :

"Subject to the other provisions of this Act, the rent of a tenant may be enhanced or abated only—

(a) by a registered agreement, or

(b) by a decree or order of a comptent revenue court."

अर्थात् यहां पर एनहान्समेंट हो सकता है by a decree or order of a comptent court. यह जो ६७ ए, बी और सी में गवर्नमेंट एन्हान्स कर देती है इस प्रकार......

(कुछ सोचने के पश्चात्)

खैर, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदास गोयल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री तनसिंह अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ८१, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८१ संशोधनानुसार, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ८२ तथा ८३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ८२ और ८३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लाज़ेज़ ८२ और ८३ विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ८४, श्री तनसिंह

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार भी मेरा वही अमेंडमेंट है जो अभी मैंने क्लाज ८१ में रखा था और जिसका नम्बर १२५ है ।

क्लॉजेज़ ६७ और ६७ ए, बी और सी रखने के लिए दिया है। क्योंकि ऐसा ही अमेंडमेंट सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य रखने वाले है, जिसके द्वारा यह चेप्टर, 'दिस चेप्टर' शब्द सब्स्टीट्यूट.. ...

श्री उपाध्यक्ष—उनका है ।

श्री तनसिंह—मैं पहले ही इसका उत्तर दे दूं । मेरा खयाल है कि इसके उत्तर की पहले से जरूरत नहीं रहेगी। शायद इसका उत्तर सुनकर वे मूव नहीं करेंगे । वह ऐसा अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं कि ६७ और ६७ ए की जगह 'दिस चैप्टर' रख दिया जावे लेकिन मेरा जो निवेदन है वह यह है कि मेग्जिमम जो रेन्ट है वह प्रेस्क्राइब सिर्फ ६७ ए, बी और सी में हुआ है इसलिए यह 84 (v) में है कि :

"(v) that such rent exceeds the maxima laid down in section 67 or section 67A."

मेग्जिमम रेन्ट फिक्सड है वह सिर्फ ६७ ए, बी सी में दिया गया है । इस चेप्टर को लाने से, पहले मेरे अमेंडमेंट को मंजूर करने से, सारा मतलब हल हो जाता है । संशोधन इस प्रकार है :

"In part (v) of section 84, for the words, figues and letter 'section 67 or 67 A' the words 'this chapter' be substituted."

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मेरे माननीय मित्र, पूर्व वक्ता ने फरमाया उससे पूरा मकसद हल नहीं होता क्योंकि आपका अमेंडमेंट फिर भी अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि आपने कहा मेग्जिमम रेंट के बारे में, सेक्शन ६७ इट सेल्फ इसको डील करता है। काइन्ड के लिये सेक्शन ६७ (जी) भी है और पूरे चेप्टर के लिये लिख देते हैं तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा और तमाम क्लॉज़ में रेफरेन्स देकर इसका डिटर्मिनेशन हो जाता है, इसलिये मैंने जो अमेंडमेंट दिया है वह यह है कि ६७ और ६७ ए को हटाकर 'दिस चेप्टर' सब्सटिट्यूट कर दिया जाय तो यह अमेंडमेंट ज्यादा सही और ठीक रहेगा । ऐसी सूरत में मैं सोचता हूं कि माननीय पूर्व वक्ता अपना अमेंडमेंट वापस ले लेंगे।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—क्लॉज़ ८४ में मेरा कोई संशोधन नहीं, लेकिन एक आवश्यक सुझाव है और वह इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२) में है, जिसमें दिया है कि :

"(ii) That the productive powers of the land held by the tenant have been decreased by an improvement made by the landholder or by any cause beyond the control of the tenant during the currency of the present rent"

[श्री भैरोंसिंह]

इसमें एक दुविधा यह पैदा होती है कि अगर कोई टिनेन्ट इम्प्रूवमेंट कराना चाहता है और उस इम्प्रूवमेंट को करने से कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि जिसके कारण उस जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई तो उसमें अड़चन आती है। मानना पड़ेगा कि किसी इम्प्रूवमेन्ट से प्रोडक्टिविटी में कमी आ गई है या प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है तो यह मानते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते कि इंम्प्रूवमेंट करने के बजाय उल्टी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि काश्तकारों की हालत को देखते हुए सरकार चाहती भी है कि किसी तरह से उनको एकोमोडेट किया जाय तो अच्छा हो, लेकिन यदि इस क्लॉज़ में कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा तो आगे जाकर हमें दिक्कत होगी। इसलिये में निवेदन करूंगा कि, "that the productive powers of the land held by a tenant have been decreased by an improvement made by the landholder..." में 'made by the landholder' हटा दिया जाय। इसके बाद में कोई इम्प्रूवमेन्ट हो, चाहे लेन्ड होल्डर के जरिये हो या टिनेन्ट के जरिये हो, काश्तकार को उससे नुकसान पहुँचता है। यह प्रोडक्शन को कम करता है। तो इसके अंतर्गत उसको सरकार की ओर से राहत पहुंच सकती है। इसको हटा दिया जाय ताकि मकसद पूरा हो जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—जहां तक सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन है उसे स्वीकार करने में मुझे ऐतराज नहीं है और उसको स्वीकार करने के बाद बाडमेर से आनेवाले सदस्य के संशोधन का समावेश उसमें हो जाता है। अब दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें से 'that the productive Powers of the land held by a tenant have been decreased by an improvement made by the landholder में......' made by the landholder" शब्द हटा देने चाहिये। इन शब्दों को हटा देने का क्या पर्पज़ है? मैं समझता हूं इनको हटाने से कोई खासखास लाभ पहुचानेवाली बात नहीं होगी, क्योंकि यह दरअसल में टिनेन्ट की लेन्ड से सम्बन्ध रखनेवाला है। लेन्ड होल्डर के इम्प्रूवमेंट करने से यदि उसको हानि हुई है तो उसका सवाल पैदा होता है, लेकिन टिनेन्ट के खुद के काम से उसको ही नुकसान पहुंचा है तो इसका क्या सवाल आयगा।

श्री भैरूंसिंह—क्या लगान में कमी नहीं हो सकेगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यदि वह खुद नुकसान करता है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर कैसे आयगी? उसको समझ-सोचकर काम करना चाहिये। यदि कोई दूसरा आदमी इंम्प्रूवमेंट का काम करता है और उससे काश्तकार को नुकसान पहुंचता है तो उसको राहत पहुंचाने के लिए यह क्लॉज़ रखा गया है।

श्री भैरूंसिंह—मैं थोड़ा इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि कोई काश्तकार अपने खेत में कूआ बनाता है या कूआ बनाकर जमीन में बैठाना चाहता है, लेकिन अकस्मात् उसकी बदकिस्मती से कूआ ढह जाता है तो उसको नुकसान होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट को लगान

Page No.71

[श्री भैरोंसिंह]

में कमी करनी पड़ेगी। उसने इंप्रूवमेंट करना चाहा था लेकिन उसको नुकसान हो गया और पैदावार पर उसका असर पड़ा, ऐसी हालत में काश्तकार की तरफ से वापिस जब तक पूरा साधन ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिलनी चाहिये। हमारेयहां इम्प्रूवमेंट के साधन सिवाय कूआ बनाने के और कुछ भी नहीं हैं। कूआ बनाने में भी कई तरह की अड़चनें आती हैं। कई बार कूआ ढह जाता है और जमीन में बैठ जाता है और इंप्रूवमेंट नाम की चीज समाप्त हो जाती है। ऐसी सूरत में उस किसान को राहत मिलना जरूरी है। इसमें लैंड का सवाल नहीं है, चाहे वह लैंड होल्डर की हो या टिनेन्ट की हो। जिस इंप्रूवमेंट के जरिये उसको राहत मिलनेवाली थी तब तो टिनेन्ट जान-बूझ कर अपने आपको नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करेगा लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाय कि जिससे वह इंप्रूवमेंट उसको नुकसान पहुंचानेवाला बन जाय तो उसको राहत पहुंचाना जरूरी हो जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को हटा दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—क्लॉज़ ८४ के सब क्लॉज़ (२) को आप शायद देखते तो यह दलील नहीं देनी पड़ती।

श्री भैरूंसिंह—क्लॉज़ ८४ (२) के बारे में ही तो मैं कह रहा हूं।

श्री तनसिंह—मुझे तो अपना अमेंडमेंट वापस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की राय है कि श्री तनसिंह को अपना अमेंडमेंट वापस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट वापस लेने की इजाजत दी गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदास गोयल ने उपस्थित किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग से रूप जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ८५, ८६, ८७ और ८८ पर कोई संशोधन नहीं हैं। यदि कोई इन क्लॉज़ेज़ के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८५, ८६, ८७ और ८८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ८५, ८६, ८७ और ८८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(स्वीकृत)

क्लाँज़ेज़ ८६, श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ८६ में मेरा एक साधारण सा अमेंडमेंट है और वह यह है कि "an Colletor" के स्थान में "a Collector" कर दिया जाय; "an" के बजाय 'a' कर दिया जाय। पहले संभवत: असिस्टेन्ट कलेक्टर रखा था, इसलिये 'an' काम में लिया गया था। बाद में सिलेक्ट कमेटी ने असिस्टेन्ट कलेक्टर के बजाय कलेक्टर रखा, किन्तु शायद गलती से 'एन' के बजाय 'ए' होना रह गया इसलिये इसे अब दुरूस्त कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष— यह तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है।

श्री श्रीदास गोयल (जारी)—'an' गलती से रह गया है, इस 'an' को 'a' बना दिया जाय। बस यही मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है। मैं समझता हूँ कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो साधारण ग्रामेटिकल मिस्टेक है। प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि, संशोधनानुसार, क्लॉज़ ८६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Sir, clause 66A was moved by Shri Kapil Deo Agrawal and the objection was that it should be circulated. This has already been circulated and now I think we can take it for consideration.

श्री उपाध्यक्ष—यहां कुछ क्लॉज़ेज़ ऐसे हैं जिन पर कोई संशोधन नहीं है; क्लॉज़ेज़ ९०, ९१ और ९२ ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—What about 66A ?

श्री उपाध्यक्ष—इसको नेक्स्ट में ले लिया जायगा।

(विराम)

खंड ९०, ९१ एवं ९२ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ९०, ९१ और९२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ९०, ९१ और ९२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

खण्ड ६६ ए., श्री कपिल देव अग्रवाल ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—He has already moved.

श्री उपाध्यक्ष—सर्कुलेशन में भेज दिया गया,किसी को कुछ कहना नहीं है इस पर ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६६ ए, जो इस प्रकार है विधेयक का अंग बने :

"Maximum cash rent recoverable by Government—Notwithstanding any law, rule, custom, usage or practice to the contrary, the maximum amount reloverable as cash rent from a tenant holding any land directly from the State Government shall not exceed:—

(a) When rent in respect of such land has been settled, the rent rate sanctioned therefor during the last settlement, and

(b) Where rent in respect of such land has not been settled the rent rate sanctioned during the last settlement for similar land in the neighbourhood."

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६६ ए. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—65 A was moved ?

श्री उपाध्यक्ष—एक अमेंडमेंट है श्री जवानसिंह का ६५ ए पर।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६५ ए. पर जो अमेंडमेंट श्री जवानसिंह ने प्रस्तुत किया, वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६५ ए. विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ ९५ ए. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ९३, इस पर श्री तनसिंह का अमेंडमेंट है।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस क्लॉज़ में इस प्रकार है :

"Delete the first proviso to the clause, and delete the word 'further' occurring in the first line of the second proviso."

यह क्लॉज़ ९३ 'मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट' का है। ९३ में दो प्रकार के मोड रखे गये हैं। पहला तो यह है कि लैंड होल्डर को पर्सनली या पोस्टल मनीऑर्डर से भेज दें; दूसरा है ९९ के द्वारा कोर्ट से जमा कराने का। ९९ में प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रकार यह रेंट कोर्ट में जमा कराया जा सकता है। क्लॉज़ १०३ को देखें तो इसमें है:

"Nothing in sections 99 to 102 shall apply in cases in which land is held by a tenant directly from the State Government to which, as the landholder, rent in respect thereof, is payable."

यही प्रोविजो ९३ में है। ९३ का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसमें भी यही है:

"Provided that in case of land held by such tenant directly from the State Government, the provisions as to payment by deposit in court shall not apply."

तो यही प्रोविजन ९९ का है। यही की यही चीज १०३ में लिखी हुई है। यह रिपीटिशन है, इसलिये इसको यहां रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री सुखाड़िया से) Yes, reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा ख्याल है कि इस प्रोविजो को यहां रखने में कोई एतराज नहीं है। आगे यह है, इसलिये इसको हटाने की बात कही जा रही है तो अगर यह यहां रह जाय तो भी कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री तनसिंह—एक बकरी के दो थन होते हैं, एवं दो और थन कान के नीचे होते हैं जो बेकार होते हैं। तो कानून में इस प्रकार की बेकार चीज रहे, यह ठीक नहीं।

श्री **जवानसिंह**—लेकिन सुन्दरता के लिये भी कभी कभी रखना पड़ता है।

(हंसी)

श्री **तनसिंह**—यदि ऐसी बेकार चीज को आप रखना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह को अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री **तनसिंह**—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री **उपाध्यक्ष**—The question is that clause 93 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 93 is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ेज ९४, ९५ और ९६ पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज ९४, ९५ और ९६ इस बिल में अंग रूप से जोड़े जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज ९४, ९५ और ९६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ९७, श्री चांदमल मेहता।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

Page No.77

श्री उपाध्यक्ष—The question is that Clause 97 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 97 is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉजेज ९८ से लगाकर १०३ क्लॉज तक कोई संशोधन नहीं है। कोई भी सदस्य इन पर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ९८ से लगाकर १०३ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ९८ से १०३ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १०४, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—आप मूव नहीं करना चाहते ?

श्री चांदमल मेहता—जी नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्लॉज़ १०४ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज़ है

श्री उपाध्यक्ष—If the Government is satisfied, than let it be passed.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १०४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १०५, १०६ और १०७ पर कोई संशोधन नहीं हैं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १०५ से १०७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १०५, १०६ और १०७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता, क्लॉज़ १०८।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, श्रीदास जी तो नहीं हैं। मुझे इजाजत दें तो मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—इजाजत दी जाती है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के एक्सप्लेनेशन में बहुत ही ऑर्डिनेरी अमेंडमेंट है; इसके वर्डिंग्ज़ यह हैं :

"By proper time is meant the date which by custom or practice in a local area is deemed to be the last date for a division, estimate or appraisement of the crop or the date specified below, whichever may be earlier..." तो इसमें ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं "By proper time is meant" इनको मैं अमेंड करके इस फोर्म में रखना चाहता हूँ: "For the purposes of this chapter, the expression "proper time" means......"

मैंने इसमें उसकी भाषा को ही ठीक तरह से रखा है कि जहां जो प्रोपर टाइम के खास चीज के लिये एप्लीकेबल है उस चीज के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है मैं समझता हूँ माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे यह मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १०८ पर श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है और माननीय मंत्री महोदय ने उसे स्वीकार किया है इसको स्वीकार किया जावे।

श्री भैंरूसिंह (वि.सं.१६)—जो बातें श्यामलाल जी गोयल ने अभी कहीं हैं उसमें मेरा विरोध है। यह सारा जो वह "By proper time is meant" के बजाय "For the purposes o this Chapter, the expression "proper time" means..." है।

"By proper time is meant" को हटाकर "For the purposes of this Chapter 'proper time' shall mean..." इसमें आ जावे ताकि यह कानूनी दायरे में आ जाती है। बनिस्पत 'mean' के "shall mean" रखा जाना चाहिए। क्योंकि जितनी भी डेफिनिशन्स हैं उनमें हमेशा "shall" रहता है। मतलब तो एक ही है लेकिन डेफिनिशन में "mean" के बजाय "shall mean" होना चाहिए। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि "shall mean" कर दिया जावे।

श्री श्यामलाल गोयल—इस अमेंडमेंट के साथ "shall mean" कर दिया जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने प्रस्तुत किया है वह संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०८, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०९ से ११४ तक कोई अमेंडमेंट नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, there can be discussions on the clauses. With your permission I would like to discuss Clause 109.

श्री उपाध्यक्ष—You want to say something on this? But there should be no general discussion, only definite discussion.

श्री श्रीभानसिंह—Yes, Sir, only definite discussion.

Mr. Deputy Speaker, Sir, in clause 109, sub-section (7), there is a provision for 'award'. On a previous occasion also I brought it to the notice of the House that the principles behind an award are that it should be final. It says that the Tehsildar will make the award and that award can be modified or changed as the Government wish. Therefore, when once an award has been given or delivered, it should be final. There must be an end to such things being carried on or applications being made from one officer to the other.

Where that principle of the award is lost there is definitely and decidedly delay to disposal of cases. We have embodied the principles of award in this Act and we want to expedite matters and if we want to expedite matters we must make certain things final. Therefore I would like to draw the attention of the House and of the Hon'ble Minister that jf an award has been delivered we should make it final and let the matters be decided finally. Let the executive officer concerned act judiciously and feel himself free from executive intereference.This intereference must cease from the day and the date the award is published or made final tothe parties.

With these words I commend my suggestion to the Government.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, यह क्लॉज़ जिस आसानी के साथ मैं दूसरे अन्य सरल क्लाजेज़ के साथ पास होने जा रहा था तो उससे मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद सदन इतना जागरूक नहीं है कि इस क्लाज़ पर बहस मुबाहसा जितना होना चाहिए नहीं किया जाय। इस क्लाज को जैसा पहले रखा गया है उसी प्रकार से रखा जाता तो ज्यादा बहतर होता और मेरे से पूर्व वक्ता ने भी यह निवेदन किया है कि अवार्ड की फाइनेलिटी को हमें किस हद तक मानना चाहिए और उनका यही आशय था कि जैसा पूर्व (ओरिजिनल) बिल में क्लाज़ था उसको वैसा ही रखना चहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा भी यह निश्चित मत है कि इस क्लाज़ को हमें उसी कदर मंजूर करना चाहिए जिस प्रकार से कि ओरिजिनल बिल में था और उसके लिए मैं निम्न कारण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

वैसे काश्तकारों के दरमियान और लेन्ड होल्डर्स के दर्मियान जितने प्रकार के झगड़े हैं उन तमाम के लिए हमने इस बिल में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोविज़न्स किये हैं। जहां

[श्री जवानसिंह]

तक रेन्ट का सम्बन्ध है हमने पहले के क्लॉज़ेज़ में समावेश कर लिया है कि किस प्रकार से झगड़े होंगे, किस प्रकार से ज्यादा वसल हो सकेगा और किस प्रकार से ज्यादा वसूल किया गया, रेन्ट को लेने का अधिकार होगा। तो इन सब बातों के लिए विभिन्न आदमियों को, चाहे काश्तकार हों, चाहे टिनेन्ट हों, चाहे लेन्ड होल्डर हों, अधिकार दिये गये हैं। यहां पर एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो सकती है और जो कुछ अर्से पहले माननीय सदस्यों को आशंका थी कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है और जिसके लिए यह एक धारा जो पहले ही छोटे से कानूनों में थी उसको लिया गया है। मैंने इस धारा का समावेश यू. पी. टिनेन्सी बिल में भी देखा है लेकिन मुझे केवल इतना ही अन्तर प्रतीत हुआ कि यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में यह धारा उसी प्रकार से है जैसा क्लॉज़ कि हमारे यहां ओरिजिनल बिल में था। हमने जो संशोधन उस क्लॉज़ में किया है वह जरूरत से ज्यादा है, अनावश्यक है और इससे नुकसान होने की गुन्जाइश है। हमें न्याय करना है उन आदमियों के साथ, जो लगान ले लेते हैं और साथ ही साथ उनके साथ भी जो रेन्ट देते हैं। हमें उनकी परेशानी की ओर भी ध्यान रखना है। ओरिजिनल बिल में क्लॉज़ ज्यादा साफ था। उसमें एक उलझन कम कर दी गई है। एक बार यदि किसी काश्तकार को लगान देना है, यदि उस सम्बन्ध में किसी प्रकार का झगड़ा खड़ा होगा तो उसे यह अधिकार है कि वह केवल यह कह देगा कि जितना लगान मांगा गया है उतना मेरे ऊपर देने की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे उसका एतराज सही हो या किसी प्रकार का हो किन्तु वह केवल एतराज कर देगा कि जो लगान वसूल किया जा रहा है वह गलत है, मैं देने के लिए रजामन्द नहीं हूं। मेरा एतराज है इसलिए अवार्ड फाइनल नहीं हो सकेगा, ऐसा प्रोविजन सिलेक्ट कमेटी द्वारा अमेंडेड इस क्लाज़ में किया गया है। लेकिन एक वक्त में फसल तैयार होती है, लगान देने की जिम्मेदारी काश्तकार की है। उस वक्त उसको सहूलियत है लगान देने की कि अनाज उसके पास है, भीतर नहीं गया है। हमने उसको थोड़ी इस क्लाज़ में राहत दी कि उस फसल में से जितना अनाज मिलता है वह सारा का सारा उठा कर ले जाय और वह इस शर्त पर ले जायगा कि उसने एतराज किया है कि जितना लगान मांगा जा रहा है उसको देने में मुझे एतराज़ है। वह उस एतराज़ पर पूरा का पूरा अनाज ले जायगा। बाद में उसको कोर्ट में आना होगा, काश्तकार को परेशान होना पड़ेगा, उसको कोर्ट का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद रेन्ट की डिग्री हो जाती है। वह अनाज खत्म कर चुका है या उसके पास नहीं है तो आयन्दा आने वाली फसल का भी लगान देना पड़ेगा और पहले का जो उसने नहीं दिया है वह भी देना पड़ेगा। इस तरह से एक वक्त में दो लगान देने पड़ेंगे, जो शायद देना उसकी शक्ति के बाहर होगा। उस वक्त उसको परेशान करने की नौबत हो जायगी। दो-दो, तीन-तीन साल का लगान उस पर इकट्ठा हो जायगा। हमने प्रोविज़न किया है कि जब लगान इकट्ठा हो जायगा तो उसके पास हो या न हो जिस वक्त लगान देने का एतराज किया हम उससे ले लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि उस आड़ की क्या कीमत होगी जब काश्तकार के पास है...

श्री श्रीभानसिंह–Time is up. We can contribute tomorrow.

श्री जवानसिंह–I have no objection.

अन्त: विधान मंडल संस्था एवं सदन की सजावट सम्बन्धी घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—मैं दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। प्रिसाइडिंग ओफिसर्स कॉन्फ्रेन्स जो इन्डियन लेजिस्लेचर्स की हुई है उसके अन्दर कई बातों पर विचार किया गया है। उसमें से दो बातें अभी सदन के सामने विचार करने लिए रख रहा हूं।

उन पर १४ तारीख को हाउस की मीटिंग के बाद इन्फोर्मल विचार किया जायगा।

इन्टर लेजिस्लेचर एसोसियेशन, यह ऐसी तजवीज है, इस पर विचार हो रहा है। इस एसोसियेशन में अलग अलग प्रांतों की धारासभाओं के जितने भी सदस्य हैं उन सब का एसोसियेशन बनाया जावे, ताकि भारत की तमाम विधान सभाओं में एक सा अमल हो, एक ही प्रणाली हो; इसपर विचार हो सके। इस तरह का एक विचार है।

दूसरा यह है कि सदन के डेकोरेशन के लिये, स्थानीय क्या क्या चित्र हों, जिनको सदन में लगाया जाना चाहिये। कैसी डेकोरेशन होनी चाहिये; जो सदस्य इसमें विशेष दिलचस्पी रखते हों उनको और दूसरे माननीय सदस्यों को इस पर विचार करके उस समय जो भी तजवीज होगी, कमेटी की होगी तो कमेटी के सामने उनको रखेंगे। इन दोनों बातों पर सदन विचार करे। आप यह सोचकर आवें कि किस प्रकार इस सम्बन्ध में इन्फोरमल विचार किया जा सकता है। फिर सदन में कोई निर्णय लिया जायगा।

चूंकि अब समय समाप्त हो चुका है अत: आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल सुबह आठ बजे फिर कार्यवाही आरम्भ होगी।

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२ बजे, दिनांक ८ सितम्बर १९५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ७ सितम्बर, १६५४

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १७१६ का उत्तर देखिये)

OFFICE OF THE LOCAL FUND INSTITUTIONS (MUNICIPAL BOARDS) which have not been visited by the Auditors in last two years.

JAIPUR DIVISION.

S.No.	Name of the Institution.
1.	M. B. Lalsot (already intimated to the Board that its audit will be taken upto sept. 1954.)
2.	M. B. Kotputli.
3.	M. B. Sarwar— do
4.	M. B. Bandikui-- do
5.	M. B. Chaksu.
6.	M. B. Neem ka Thana.
7.	M. B. Khandela.
8.	M. B. Shri Madhopur.
9.	M. B. Bissau.
10.	M. B. Surajgarh.
11.	M. B. Bagar.
12.	M. B. Khetri.
13.	M. B. Udaipur Wati.
14.	M. B. Uniyara.
15.	M. B. Kama.
16.	M. B. Bhusawar.
17.	M. B. Baseri.
18.	M. B. Rajakhera.
19.	M. B. Bari.
	UDAIPR DIVION.
20	M. B. Deogarh.
21.	M. B. Choti sadri.
22.	M. B. Begun.
	KOTAH DIVISION
23.	M. B. Gangdhar.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १७१६ का उत्तर देखिये)

तालिका "अ"

नगर पालिकाओं के नाम जिनके बजट वास्ते स्वीकृति सरकार के पास गये हैं।

१. बीकानेर
२. पिरावा
३. झालरापाटन
४. जोबनेर
५. सांभर
६. बगर
७. खेतड़ी
८. चिड़ावा
९. उदयपुरवाटी
१०. मालपुरा
११. डीग
१२. नगर
१३. बयाना
१४. बैंगू

तालिका "ब"

नगरपलिकाओं के नाम जिनके बजट सरकार व डी. एल. बी. द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये :—

	तारीख प्राप्ति
१. झालावाड़	७-८.५४
२. बाली	१.८'५४
३. रतनगढ	२०.७.५४
४. नाथद्वारा	२८.७-५४
५. बांसवाडा	२६.७.५४
६. जयपुर	१४.६.५४
७. किशनगढ	२३.७.५४
८. भरतपुर	३०.७.५४
९. प्रतापगढ	३०.७.५४